आईएसएसएन : 2457-015X



बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल

अक्तूबर 2019 - मार्च 2020 वर्ष 32 क् अंक 01

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

संपादक मंडल

संरक्षक

साधना वर्मा

मुख्य महाप्रबंधक, राजभाषा विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

अध्यक्ष

श्रीमोहन यादव

मुख्य महाप्रबंधक, विनियमन विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

प्रबंध संपादक

काज़ी मुहम्मद ईसा महाप्रबंधक राजभाषा विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

उप प्रबंध संपादक

डॉ. सावित्री सिंह उप महाप्रबंधक राजभाषा विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

कार्यकारी संपादक

आर. एस. सेंगर उप महाप्रबंधक राजभाषा विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

सदस्य-सचिव

राहुल राजेश प्रबंधक राजभाषा विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

सदस्य

ब्रिज राज
महाप्रबंधक एवं
बैंकिंग लोकपाल,
भारतीय रिज़र्व
बैंक, क्षेत्रीय
कार्यालय, पटना

एस. सी. रथ महाप्रबंधक एवं संकाय, रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै

गौतम प्रकाश सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे

दिवाकर झा सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय, स्टेट बैंक ग्रामीण बैंकिंग संस्थान, हैदराबाद

राजीव जमुआर मुख्य प्रबंधक एवं संकाय, यूनियन बैंक स्टाफ महाविद्यालय, बेंगलुरु

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक

राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय सी-9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा-कुर्ला संकुल मुंबई - 400051

कॉर्पोरेट ईमेल: rajbhashaco@rbi.org.in

फोन: 022-26572801

तकनीकी सहयोग

आशीष पूजन प्रबंधक, डीईआईओ भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई

कला सहयोग

अभय मोहिते सहायक प्रबंधक, डीईपीआर भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई

श्री काज़ी मुहम्मद ईसा द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी-9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051 के लिए संपादित और प्रकाशित।

इंटरनेट : https://www.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध।

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

अक्तूबर 2019 - मार्च 2020 वर्ष 32 **❖** अंक 01

संपादकीय

भाषण

❖ 21वीं सदी में बैंकिंग परिदृश्य - शक्तिकांत दास

आलेख

- 💠 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पचास वर्ष डॉ. आशीष श्रीवास्तव
- ❖ कृषि और समावेशी विकास डॉ. रमाकांत शर्मा
- 💠 बैंकों का विलय और 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य अभिमन्यु
- 💠 बैंकों का विलय और मानव संसाधन डॉ. मनोज कुमार अंबष्ट
- ॐ बैंकिंग जगत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उभरती तकनीकें नौशाबा हसन
- ❖ स्वदेशी भुगतान प्रणाली का आधार : भारत का अपना 'रुपे कार्ड' **कुलदीप सिंह भाटी**

स्थायी स्तंभ

- ❖ रेग्युलेटर की नज़र से ब्रिज राज
- ❖ घूमता आईना के. सी. मालपानी
- ❖ पुस्तक समीक्षा **डॉ. घनश्याम शर्मा**

इस पत्रिका के लेखों में दिये गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो। इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

लेआउट और डिजाइन : **राहुल राजेश**



आज कोविड-19 की वजह से विश्व वाहिमाम कर रहा है। अर्थव्यवस्थाएं ठप्प पड़ी हैं। मानव शक्ति घर में बैठने के लिए विवश है। संसार की गतिविधियां रुक-सी गई हैं। नौकरियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कल-कारखाने, उद्योग-धंधे बंद पड़ गए हैं। हमारे देश में श्रमिकों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। उनके सामने रोज़गार की समस्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। वे पेट भरने को मोहताज हैं। इसी कारण वे अपने कामकाज के स्थानों से, बदहवास हो, देश के दूर-दूर प्रान्तों में स्थित अपने गांवों की ओर पलायन कर रहे हैं। संस्कृत के एक श्लोक में इस संवेदना को बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से व्यक्त किया गया है-

अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशः शून्यास्त्वबान्धवाः। मूर्खस्य हृदयं शून्यं सर्वशून्यं दरिद्रता॥

अर्थात, जैसे पुत्रहीन के लिए घर सूना हो जाता है, भाई के बिना दिशाएं सूनी हो जाती हैं, सदविचारों के बिना मूर्ख का हृदय सूना हो जाता है, उसी प्रकार दरिद्रता की स्थिति में एक व्यक्ति के लिए सब कुछ सूना हो जाता है।

इस संकट काल में हर व्यक्ति के सामने स्वयं को और अपने परिवार को बचाने का प्रश्न है। कोविड-19 मानव सभ्यता के विनाश के लिए रक्तबीज की तरह हमारे सामने आया है। इस वायरस के संपर्क में जो भी आ रहा है, वह बीमार पड़ रहा है। आज पूरी दुनिया इसके घातक प्रहार से कराह रही है। बड़ी-बड़ी महाशक्तियां बेदम हो गई हैं। किन्तु, ईश्वरीय कृपा है कि हमारा देश अभी तक इस मामले में अच्छी स्थिति में बना हुआ है। इसका मूल कारण माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा समय पर देश में लॉकडाउन की घोषणा और देश के लोगों का उसे पूरे विश्वास के साथ आचरण में लाने का संकल्प है।

हम सब जानते हैं कि इन विकट परिस्थितियों और संसाधनों के अभाव में ऑफिस से भौतिक रूप में कार्य करना संभव नहीं है। अत: हमारे लिए घर से 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का यह अंक निकालने का निर्णय एक बड़ा कठिन कार्य था। लॉकडाउन के कारण इसका भौतिक रूप में प्रकाशन संभव नहीं हो पा रहा था। अत: यह निर्णय लिया गया कि इसे इस बार केवल ई-रूप में ही प्रकाशित किया जाए और बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ताकि बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र के प्रासंगिक विषयों से संबंधित सामग्री पाठकों तक पहुंचाई जा सके। हमारे वरिष्ठ तंत्र के समर्थन एवं संपादक मंडल की दृढ़ इच्छाशक्ति से यह कार्य संभव हो पाया है। फलस्वरूप पत्रिका का यह अंक ई-रूप में आपके सामने है।

यह बात हम भलीभांति जानते हैं कि सुधी पाठकों को यह किंचित अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वे पत्रिका को पुस्तक के रूप में ही पढ़ना पसंद करते हैं। अत: इस बार हमारा उनसे आग्रह है कि वे इस अंक को ई-रूप में हमारे बैंक की वेबसाइट पर पढ़ने का कष्ट करें। हम उनके अत्यंत आभारी होंगे।

हम संपादक मंडल के सम्माननीय अधिकारियों, इस अंक के लेखकों, अन्य सहयोगियों के जज़्बों को स्व. अटल बिहारी बाजपेयी की निम्न पंक्तियों से सलाम करते हैं, जिन्होंने लॉकडाउन की विषम परिस्थिति में भी अपना कार्य पूरा कर दिखाया-

बाधाएं आती हैं आएं,

घिरें प्रलय की घोर घटाएं,

पांव के नीचे अंगारे,

सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं,

निज हाथों में हंसते-हंसते,

आग लगाकर जलना होगा

कदम मिलाकर चलना होगा।

आपके स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन की मंगल कामनाओं सहित,

- काज़ी मु. ईसा

प्रबंध संपादक एवं महाप्रबंधक

भाषण

21 वीं सदी में बैंकिंग परिदृश्य

- शक्तिकांत दास

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

(24 फरवरी, 2020 को मिंट की वार्षिक बैंकिंग संगोष्ठी, 2020 में दिया गया भाषण)

मेंट की वार्षिक बैंकिंग संगोष्ठी में आज यहां आना मेरे लिए वाकई खुशी की बात है। मुझे बताया गया है कि यह संगोष्ठी का 13वां संस्करण है, जो एक प्रतिष्ठित वार्षिक कार्यक्रम बन गया है, जिसने वित्त और बैंकिंग उद्योग के सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली मेधावियों को आकर्षित किया है। भारत के वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र के सभी हितधारकों को यह आकलन करने के लिए कि हम आज कहां खड़े हैं और कल कहां पहुंचना चाहते हैं, इसकी तैयारी के लिए, यह संगोष्ठी हमें एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है।

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र जिन तमाम मुद्दों से दो-चार होता रहा है, उसने नीति निर्माताओं का ध्यान खींचा है। बैंकों के विनियामक और पर्यवेक्षक होने के नाते, रिज़र्व बैंक देश में एक सुदृढ़ और मजबूत बैंकिंग प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए व्यवसाय मॉडल और नई तकनीक के उद्भव और बैंकिंग व वित्त में इसके अनुप्रयोग ने नए अवसर पैदा किए हैं। इन नए घटित घटनाक्रमों के संदर्भ में भारत के बैंकिंग क्षेत्र पर गहन दृष्टि डालने के प्रयोजन से, मैंने आज अपनी बात रखने के लिए जो विषय चुना है वह है- "21वीं सदी में बैंकिंग परिदृश्य"।

वित्त और बैंकिंग वैश्विक आर्थिक विकास के इंजन के रूप में उभरे हैं। यह तर्क दिया गया है और मेरी राय में, यह तर्क ठीक भी है कि वित्तीय सेवाओं के प्रसार में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है¹। चेक, तार अंतरण, एटीएम और क्रेडिट कार्ड इसी प्रकृति के महत्वपूर्ण नवाचार थे। हाल के दिनों पर

यदि सरसरी नजर डालें तो ऐसा लगता है कि हम तकनीकी क्रांति की पृष्ठभूमि में बैंकिंग में एक और ऐसा आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं, जो बेहतर ग्राहक अनुभव, जोखिम प्रबंधन और शेयरधारकों के लिए बेहतर रिटर्न का वादा करता है2। इस परिवेश में, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए इसके क्या मायने हैं और हम खुद को आने वाले समय के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में, मैं अब वैश्विक बैंकिंग के रुझानों पर चर्चा आरंभ करना चाहूंगा और फिर मैं भारतीय बैंकिंग में हाल के रुझानों, बैंकिंग के नए आयामों और इसके भावी मार्ग पर गौर करना चाहूंगा।

वैश्विक बैंकिंग: उभरते विनियामक रुझान

वैश्विक वित्तीय संकट बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक महीन विभाजन (वाटरशेड) का प्रतिनिधित्व करता है। इसने अन्यथा दुर्जेय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अंतर्निहित खामियों को उजागर किया है। इस संकट ने विनियामक ढांचे में आमूलचूल सुधार, आर्थिक और वित्तीय परिवेश में दीर्घकालिक बदलाव और वित्तीय सेवा उद्योग के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में एक बड़े परिवर्तन के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

संकटपूर्व विनियामक ढांचे की खामियों को दूर करने हेतु बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) जैसी अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकाय संस्थाएं तत्पर थीं। नतीजतन, वैश्विक वित्तीय प्रणाली को अधिक आघात-सहनीय बनाने के उद्देश्य से बासेल-III सुधारों के हिस्से के रूप में लीवरेज, नकदी और पूंजी

पर्याप्तता सहित कई विनियामक मानदंडों की समीक्षा की गई। नकदी जोखिम को दूर करने के लिए, चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) जैसी नयी लिखतों को आरंभ किया गया था, जो बड़े एक्सपोज़र फ्रेमवर्क द्वारा प्रतिपूरित थे। इसने बड़े व जोखिमपूर्ण एक्सपोजर को सीमित कर दिया है। "टू बिग टू फेल (टीबीटीएफ)" समस्या के निराकरण के उद्देश्य से, एफएसबी ने वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (जी-एसआईबी) के लिए कुल हानि अवशोषण क्षमता (टीएलएसी) चरणबद्ध तरीके से आरंभ की ताकि वे अपने पूंजीगत बफ़र्स का पुनर्निर्माण कर सकें। विभिन्न अधिकारिताओं ने भी एफएसबी द्वारा शुरू किए गए अन्य प्रमुख सुधारों यथा वित्तीय संस्थानों के लिए अच्छा प्रस्ताव, शासन एवं मुआवजे की विधियों के प्रभावी पर्यवेक्षण को अपनाया है। गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता (एनबीएफआई) के संबंध में, एफएसबी 2011 से वार्षिक निगरानी अभ्यास कर रहा है। मुख्य तौर पर, यह देखा गया है कि, गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता के कई पहलू जिन्होंने वित्तीय संकट बढाने में भूमिका निभाई है, को काफी हद तक रोका गया है।

अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा की गई पहल को देखते हुए, नीति निर्माता अपने अधिकार-क्षेत्र में विनियामक ढांचे को सशक्त बना रहे हैं। वैश्विक बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता और आघात सहनीयताको बढ़ाकर इन नीतियों से माध्यम से दीर्घकाल में पुन: सुधार की उम्मीद है।2018 में शुरू हुई वैश्विक विकास मंदी के चलते, हाल ही में, ऋण वृद्धि की गति अवरुद्ध होने से,प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट आई है। इसके फलस्वरूप, बैंक की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

आस्ति की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार के बावजूद, यूरो क्षेत्र में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश में निरंतर वृद्धि और कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में थोक वित्तपोषण जैसी संरचनात्मक दुर्बलताएं बनी हुई हैं। फिर भी, वैश्विक वित्तीय संकट के बाद शुरू किए गए

विभिन्न विनियामक सुधारों के चलते प्रमुख उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों की पूंजी स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है।

II. भारतीय परिदृश्य

भारतीय रिज़र्व बैंक में, हमने काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर (सीसीसीबी); सेंट्रल काउंटर पार्टियों (सीसीपी) के लिए पूंजी की आवश्यकताएं; लिवरेज अनुपात ढांचा; चलनिधि (एलसीआर); निवल स्थिर निधियन (एनएसएफ़आर); प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक (डी-एसआईबी) की आवश्यकताएं; और बड़े जोखिमों को परखने और नियंत्रित करने के लिए एक पर्यवेक्षी ढांचे के संदर्भ में बड़े पैमाने पर बासेल मानकों का अनुपालन किया है। केंद्र सरकार द्वारा आईबीसी की धारा 227 के तहत जारी अधिसूचना के संदर्भ में निराकरण के मोर्चे पर कुछ प्रगति हुई है। हालाँकि भारत में कार्यरत वित्तीय फर्मों में निराकरण के लिए हम निकट भविष्य में एक एकीकृत ढांचे की उम्मीद कर सकते हैं। भारत में एक आघात सहनीय वित्तीय प्रणाली होने के नाते इस सुधार के कार्यान्वयन का विशेष महत्व है।

हाल ही में हुई प्रगित के संदर्भ में, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के माध्यम से बढ़े प्रस्तावों के साथ आस्ति की गुणवत्ता में हुई वृद्धि के चलते धीरे-धीरे सुधार की ओर अग्रसर है। खराब आस्ति में हाल ही में आई गिरावट और प्रावधान में महत्वपूर्ण सुधार के बावजूद, बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता नाजुक बनी हुई है। हालाँकि, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनपूँजीकरण और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूंजी जुटाने के प्रयासों के चलते बैंकों में पूंजी की स्थिति बेहतर हुई है। फिर भी, यह क्षेत्र दूरसंचार क्षेत्र के आसपास की घटनाओं से चुनौतियों का सामना करना जारी रखे हुए है।

नतीजतन, गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) का भावी दुष्प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक रहता है, जो कि ऋण संवृद्धि पर भारी पड़ता है। इसके अलावा, मुनाफे में नरमी एवं कतिपय कॉरपोरेट्स के डिलिवरेजिंग के मद्देनजर, जोखिम-ग्रस्त बैंकों ने अपना ध्यान बड़े ब्नियादी ढांचे और औद्योगिक ऋणों से हटाकर खुदरा ऋणों की तरफ लगाना शुरू कर दिया है। यह विविधीकरण कार्यनीति, जोखिम शमन उपकरण के रूप में सहायक तो है लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। इसके अलावा, दबाव के क्षेत्र विशिष्ट इलाकों पर नीतिगत तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही, क्रेडिट में सम्यक श्रम करने और जोखिम मृल्य निर्धारण का प्राथमिक तौर पर महत्व है, ताकि अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण के पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य से समझौता न किया जाए।

जैसा कि आरबीआई की दिसंबर 2019 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट³ में बताया गया है, बैंकिंग स्थिरता संकेतक एक सुधार दिखाता है। तेजी से समाधान, बेहतर वसूली आदि जैसे समयबद्ध शमन उपायों को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के सकल गैर-निष्पादक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात को नीचे लाने के लिए जारी रखने की जरूरत है। यद्यपि जीएनपीए को मापने के लिए ऋण वृद्धि की निम्न दर, सीमा के आकार को सीमित करती है, तथापि, वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थितियों और भू-राजनीतिक विकास से उत्पन्न जोखिम बना रहता है।

III. बैंकिंग के नए आयाम

बैंकिंग की उभरती संरचना

वैश्विक बैंकिंग प्रणाली अभी वैश्विक वित्तीय संकट से उभरे अंतराल को दूर करने की प्रक्रिया में है, जबिक नए मुद्दे सामने आए हैं और मूल पारंपरिक बैंकिंग व्यवसाय को चुनौती दे रहे हैं। वैश्विक स्तर पर, बैंकडिजिटल नवाचार का लाभ उठाने वाले गैर- पारंपरिक सहभागियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं। दुनिया भर में बैंकिंग संरचनाएं इन नए आवेगों को अपना रही हैं।

कई फिनटेक स्टार्टअप्स ने बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग का गठन और विस्तार किया है। उन्होंने पीयर-टू-पीयरलेंडिंग, क्राउड-फंडिंग, ट्रेड फाइनेंस, इंश्योरेंस, अकाउंट एग्रीगेशन और वेल्थ मैनेजमेंट के क्षेत्र में भुगतान और विप्रेषण स्थल में प्रवेश ले लिया है। फिनटेक सहभागियों के सहयोग से, कई बैंक एक हाइब्रिड मॉडल लागू कर रहे हैं, जहां मोबाइल सेवाएं बैंकिंग सेवाओं के साथ संपर्क साध रही हैं।

बैंकों को न केवल फिनटेक कंपनियों से बल्कि वित्तीय सेवा उद्योग में बड़े पैमाने पर प्रवेश कर रही बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों (बिगटेक) से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। डेटा-नेटवर्क की गतिविधियों की प्रकृति पुनर्नियोजन वाली होने के फायदों के आधार पर, कुछ बिगटेक - भुगतान, धन प्रबंधन, बीमा और उधार गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। वर्तमान में, वित्तीय सेवाएंविश्व स्तर पर उनके व्यवसाय का केवल एक छोटा सा हिस्सा हैं। लेकिन उनके आकार और पहुंच को देखते हुए, वित्तीय सेवाओं में उनके प्रवेश से वित्तीय क्षेत्र के परिदृश्य में तेजी से रूपांतरण की आशा है। बेशक, यह कई संभावित लाभ ला सकता है। बिग डेटा का उपयोग करते हए, बिगटेक उधारकर्ताओं के जोखिम का आकलन कर सकते हैं, जिससे कोलैट्ल की आवश्यकता कम हो जाती है। इसलिए, उनके कम लागत वाले संरचना व्यवसाय को आसानी से बैंक सेवारहित आबादी को बुनियादी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

ये घटनाक्रम बैंकों के साथ-साथ बैंकिंग नियामकों के लिए भी एक चुनौती हैं। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए बैंकों को इन नई प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक प्रथाओं का अनुकरण करना होगा। दूसरी ओर, बैंकिंग नियामकों को नवाचार को बढ़ावा देने और एक मापित / आनुपातिक पर्यवेक्षी व विनियामक ढांचे को लागू करने के बीच संतुलन प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इन सभी का अर्थ है कि बैंकिंग का भविष्य अतीत की एक निरंतरता नहीं होगा। हम आने वाले वर्षों में संरचना और व्यवसाय मॉडल के संदर्भ में एक बहुत अलग बैंकिंग क्षेत्र देखेंगे।

तो, भारत में एक संभावित परिदृश्य क्या होगा? आने वाले वर्षों में बैंकिंग संस्थानों के विशिष्ट क्षेत्र उभर सकते हैं। पहले खंड में वे बड़े भारतीय बैंक शामिल हो सकते हैं जिनकी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति हो। इस प्रक्रिया को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के विलय से बढ़ाया जाएगा। दूसरे खंड में कई मध्य आकार के बैंकिंग संस्थान , जिनमें अर्थव्यवस्था की व्यापक उपस्थिति वाले प्रमुख बैंक हैं, शामिल हो सकते हैं। तीसरे खंड में निजी क्षेत्र के लघु बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों को रखा जा सकता है, जो विशेष रूप से ग्रामीण/स्थानीय क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्रों में छोटे उधारकर्ताओं की क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करते हों। चौथे खंड में वे डिजिटल सहभागी शामिल हो सकते हैं जो ग्राहकों से सीधे सेवा प्रदाताओं के रूप में या बैंकों के माध्यम से उनके एजेंट या एसोशिएट के रूप में कार्य कर सकते हैं। निश्चित रूप से पुन:स्थापित बैंकिंग प्रणाली की खासियत बैंकों की निरंतरता होगी। बैंकिंग क्षेत्र में मजबूत ग्राहक आधार के साथ पारंपरिक खिलाड़ी और नई तकनीक का नेतृत्व करने वाले खिलाड़ी शामिल होंगे।

उभरते हुए परिदृश्य में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समुचित रूप से तैयार एकीकरण प्रस्ताव से कार्यबल और शाखाओं के आवंटन में तालमेल पैदा हो सकता है और साथ ही साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए परिचालन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुर्लभ पूंजी को दक्ष और युक्तिसंगत बनाए रखने में हुए महत्वपूर्ण सुधारों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। प्रौद्योगिकी और कौशल निर्माण में निवेश को आगे बढ़ाना होगा। बड़े और फुर्तीले बैंक बेहतर प्रौद्योगिकी, कौशल और व्यावसायिक मॉडल से लैस होने के चलते बेहतर

ब्रांडिंग अभ्यास के साथ खुद को पुन: मोर्चा संभालने में सक्षम हो सकते हैं।

अंततः. बैंकिंग प्रणाली की ताकत उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ताकत पर निर्भर करती है जो मजबूत और नैतिकता से प्रेरित अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देती है। इस संदर्भ में. रिज़र्व बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निर्देश जारी करता रहा है। उदाहरण के लिए, बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों, सीईओ और वास्तविक जोखिम लेने वालों के लिए मुआवजे के दिशानिर्देशों को भी काफी हद तक संशोधित किया गया है। बैंकों में बड़े पैमाने पर पाए जाने वाले विचलन और धोखाधड़ी, उभरते जोखिमों के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए बैंकों के भीतर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की भूमिका और प्रभावी उपयोग पर सवाल उठाते हैं। श्री वाई. एच. मालेगाम की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञों की समिति की संस्तृतियों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों में समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य आंतरिक नियंत्रण कार्य-विधि को मजबूत करना है जो कि बोर्डों की लेखा परीक्षा समितियों को अधिक जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें और अधिक स्वायत्तता प्रदान करते हैं। इसके अलावा, जैसा कि हमारी वार्षिक रिपोर्ट में संकेत दिया गया है और अगस्त 2019 और दिसंबर 2019 में क्रमशः प्रकाशित भारत में बैंकिंग की प्रगति और प्रवृत्ति पर रिपोर्ट 2018-19 में दोहराया गया है कि आरबीआई बैंकों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर मसौदा दिशानिर्देश भी जारी करेगा।

डिजिटल व्यवधान

संरचनात्मक परिवर्तनों के अलावा,डिजिटल व्यवधानबैंकिंग क्षेत्र का रूपांतरण करना जारी रखेंगे। सरकार, रिज़र्व बैंक और उद्योगों द्वारा शुरू की गई पहल से सर्वव्यापी डिजिटलीकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है जिसने प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए एक प्रोत्साहन दिया है। जनसांख्यिकीय लाभांश व जेएएम ट्रिनिटी आदि जैसे कई सकारात्मकताओं का अनूठा संगम, भारत में वित्तीय सेवाओं के तेजी से डिजिटलीकरण में सहयोग करेगा।

अपने पारंपरिक व्यवसायों में जाने के साथ. बैंक-बीमा आस्ति प्रबंधन, दलाली व अन्य सेवाओं जैसे नए क्षेत्रों में अपना विस्तार कर रहे हैं। खुशी की बात है कि बैंकों की मानसिकता बदल रही है और वे फिनटेक फर्मों को हानिकारक नहीं मानते। दृष्टिकोण में इस बदलाव ने वित्तीय सेवा क्षेत्र को सुरक्षा की भावना दी है। इस बात के साक्ष्य हैं कि फिनटेक कंपनियां बैंकिंग पारितंत्र में इनेबलर के रूप में कार्य कर रही हैं। तकनीकी नवाचार को अपनाने के लिए बैंकफिनटेक कंपनियों में निवेश करने से लेकर अपनी फिनटैक सहायक कंपनियों की स्थापना करने, फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग करने जैसी कई कार्यनीतियों पर भरोसा कर रहे हैं। बैंक और गैर-बैंक भारतीय उपभोक्ता को विश्वास और नवाचार के संयोजन की पेशकश करने के लिए साझेदारी कर रहे हैं। " दुनिया के दोनों सर्वश्रेष्ठ" दृष्टिकोणोंसे डिजिटल भुगतानों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जो जारी रहने की उम्मीद है। यह कार्यनीति प्रभावी रूप से यह सुनिश्चित कर सकती है कि बैंक बाजार में अपना शेयर बनाए रखेंगे. क्योंकि ग्राहक तेजी से अधिक कुशल और किफायती सेवाओं को महत्त्व देते हैं।

इस विकास के आलोक में, पारंपरिक बैंकिंग डिजिटलीकरणऔर आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगली पीढ़ी की बैंकिंग के लिए रास्ता बना रही है। पारंपारिक शाखाओं की आवश्यकता की समीक्षा की जा रही है क्योंकि डिजिटलीकरण ने शाब्दिक रूप से बैंकिंग उंगलियों पर ला दी है। इससे अधिकांश बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक की शाखा में जाने की जरूरत नहीं रह गयी है।

डिजिटल भुगतान की दिशा में तेजी से भुगतान प्रणाली, जैसे कि तत्काल भुगतान सेवा (आइएमपीएस) और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की शुरुआत की गई है जो लाभार्थियों को तत्काल क्रेडिट प्रदान करते हैं और चौबीसों घंटे उपलब्ध रहते हैं। डिजिटल पैठ की सीमा का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि, भारत में भुगतान प्रणाली प्रत्येक दिन औसतन लगभग रू 6 लाख करोड़ के 10 करोड़ से अधिक लेनदेनों की प्रिक्रिया पूर्ण करती है। आज, डिजिटल भुगतान की संख्या दैनिक भुगतान प्रणाली के कुल लेनदेनों का लगभग 97 प्रतिशत है। यह पिछले पांच वर्षों में डिजिटल भुगतान लेनदेन की मात्रा में 50 प्रतिशत से अधिक की त्वरित वृद्धि के साथ संभव हुआ है।

रिज़र्व बैंक ने हाल ही में अपनी खुदरा भुगतान प्रणाली यथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र (एनईएफटी) को 24 x7 के आधार पर संचालित करना शुरू कर दिया है। यह एक गेम चेंजर है और भारत को उन बहुत कम देशों में शरीक करता है, जो यह सुविधा प्रदान करते हैं। हाल ही में प्रकाशित एक पेपर में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) ने उद्धृत किया है कि भारत का यूपीआई ढांचा न केवल देशों के अंदर बल्कि देशान्तर में भी त्वरित और सहज भुगतान की सुविधा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मॉडल बन सकता है।

डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाने में हमारे अनुभव को समझने और जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों को काफी रुचि है और हमें इसे साझा करने और सहयोग करने में बहुत खुशी है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने यूपीआई मॉडल को अन्य देशों में ले जाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अनुषंगी संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है जो भारत की भुगतान प्रणालियों की वैश्विक पहुंच को बढ़ाने में सहायता करेगी। खुदरा भुगतान के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, हमने अपनी वेबसाइट पर खुदरा भुगतान प्रणाली हेतु एक अखिल भारतीय न्यू अंब्रेला एनटिटि (एनयूई) का एक मसौदा ढांचा भी जन साधारण की टिप्पणियों के लिए रखा है।

विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करना

इक्कीसवीं सदी में बैंकिंग क्षेत्र के निरंतर बढ़ते आयामों के संदर्भ में, हमें बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक गहन विनियामक और पर्यवेक्षी सुधारों के बारे में विदित होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक का यह प्रयास रहा है कि वह अपने पर्यवेक्षी और विनियामक कार्यों की प्रभावकारिता में निरंतर सुधार लाए, ताकि विनियमित वित्तीय संस्थाओं के लचीलेपन को बढ़ाया जा सके। इस संबंध में हाल के दिनों में कई कदम उठाए गए हैं। हमने समन्वय को बेहतर बनाने और संसाधनों को बेहतर तरीके से आवंटित करने के उद्देश्य से विशेष रूप से, रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण और विनियामक विभागों को पुनर्गठित किया है। पर्यवेक्षी दृष्टिकोण से, इससे प्रणालीगत और विशेष प्रकृति के जोखिमों की पहचान में वृद्धि होगीजिससे हमें ऑफ-साइट और ऑन-साइट पर्यवेक्षण टीमों के बीच तालमेल बनाने में मदद मिलेगी।

हम जोखिमपूर्ण प्रथाओं और संस्थाओं पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने और अपने पर्यवेक्षी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधनोंऔर प्रौद्योगिकी की एक उपयुक्त श्रेणी को उपयोग में लाने हेत् आवश्यक रूपात्मकता और मापनीयता लाने के लिए एक जाँचे-परखे पर्यवेक्षी दृष्टिकोण का भी पालन कर रहे हैं। हम अपने ऑन-साइट पर्यवेक्षण के लिए सहायक के रूप में एक कुशाग्र और अधिक दूरदर्शी ऑफ-साइट निगरानी ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एकीकृत अनुपालन प्रबंधन और ट्रैकिंग प्रणाली के एक भाग के रूप में एक सुपर-टेक पहल को लागू किया जा रहा है। यह वेब-आधारित इंटरफ़ेस के माध्यम से पर्यवेक्षित संस्थाओं के सभी लंबित अनुपालनों की पारदर्शी और कुशल निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा, निरीक्षण योजना प्रक्रिया और साइबर घटना रिपोर्टिंग को स्वचालित करेगा और डेटा का सहज संग्रह सुनिश्चित करेगा। बैंकों और अन्य वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं में विषयगत अध्ययन किए जाएंगे। समय-समय पर पर्यवेक्षण के नए तत्व भी पेश किए जाएंगे। प्रस्तावित अनुसंधान और नीति प्रभाग और जोखिम विशेषज्ञ प्रभाग इस प्रक्रिया में सहायता करेंगे।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रणालीगत महत्व और वित्तीय प्रणाली के साथ उनके इंटर-लिंकेज को उचित रूप से पहचान देते हुए, रिजर्व बैंक ने उनकी आस्ति की गुणवत्ता और नकदी से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। 01 अगस्त, 2019 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन ने रिजर्व बैंक को एनबीएफसी के संचालन में रचनात्मक हस्तक्षेप करने के लिए और अधिक सशक्त बनाया है। शीर्ष 50 एनबीएफसी, जिनमें रू 5000 करोड़ से अधिक के आस्ति आकार की सभी एनबीएफसी शामिल हैं, की आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) की स्थिति और अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा शीर्ष 51-100 एनबीएफसी के एएलएम की भी जांच की जा रही है।

पर्यवेक्षण के चार स्तंभों,अर्थात ऑन साइट निरीक्षण, ऑफ-साइट सर्विलांस, बाजार आसूचना और सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की रिपोर्टके अलावा, सभी हितधारकों- सांविधिक लेखा परीक्षकों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, क्रेडिट सूचना कंपनियों, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी में बड़े एक्सपोजर वाले बैंकों के साथ समय-समय पर चर्चा के रूप में एक पांचवां स्तंभ स्थापित किया गया है, जो सेक्टर में उभरते जोखिमों और गतिविधियों की एक स्पष्ट समझ रख सके ताकि, जब भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके।

जहां तक सहकारी बैंकिंग खंड का संबंध है, हमने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए एक मजबूत दबाव-परीक्षण ढांचा विकसित किया है। यह समुचित कार्रवाई के लिए कमजोर बैंकों की समय पर पहचान के उद्देश्य से सहकारी बैंकों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में भी कार्य करता है। पर्यवेक्षी दृष्टि से यह प्रतिक्रियात्मकता से सकारात्मकता की ओर हुआ बदलाव है जिसका ध्येय निरंतरता आधार पर शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) में कमजोरियों की निगरानी सुनिश्चित करना है। 31 दिसंबर. 2019 तक, इनमें से 90 प्रतिशत से अधिक बैंक अब कोर बैंकिंग सॉल्युशन (सीबीएस) में हैं, हालांकि अभी भी समाधानों को मानकीकृत करने की आवश्यकता है और बेहतर परिणामों के लिए कोर बैंकिंग सॉल्युशन में मजबृत आंतरिक नियंत्रण सेट की आवश्यकता है। शहरी सहकारी बैंकों के लिए कैमल्स (पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंध, अर्जन, चलनिधि, प्रणाली एवं नियंत्रण) पर्यवेक्षी रेटिंग पद्धति को भी व्यापक स्तर पर संशोधित किया गया है। हमने सीआरआईएलसीरिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों को लाने के लिए भी कदम उठाए हैं और क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम को खत्म करने व भावी वित्तीय समावेशन हेतु प्राथमिक क्षेत्र के लिए ऋण के लक्ष्यों को बढ़ाने के प्रयोजन से एक्सपोज़र नॉर्म्स पर ड्राफ्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शासन में सुधार के लिए, हमने 100 करोड़ रुपये या इससे बड़े जमा आकार वाले यूसीबी के लिए प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) के गठन पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अन्य छोटे युसीबी द्वारा इसे अपनाना स्वैच्छिक रखा गया है। सहकारी बैंकों के संबंध में आरबीआई को. बैंकिंग कंपनियों के विषय में प्राप्त शक्तियों के समान हीउपयुक्त विनियामक शक्तियां देने हेतु, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

IV. भावी दिशा

एक मजबूत विनियामक और पर्यवेक्षी अभिशासन की पृष्ठभूमि में बैंकों की बढ़ी सघनता और तकनीक-सक्षम पर्यवेक्षण के साथ बैंकिंग उद्योग का बदलता परिदृश्य सामने आएगा। बैंकों के सामने चुनौती अपनी आधाररेखा की रक्षा करते हुए मध्यवर्ती लागत को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का सबसे अच्छा उपयोग करने की है। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) और बिग डेटा वित्तीय सेवाओं के नवाचार का केंद्र बनते जा रहे हैं। बड़े डेटासेट को संसाधित करने से वे धोखाधड़ी का पता लगाने और उधारकर्ताओं द्वारा धन के उपयोग की निगरानी के बेहतर तरीकों की पहचान करने, संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने आदि में मदद कर सकते हैं।

नीति निर्माताओं के लिए, विशेष रूप से भारत जैसे देशों में एक चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि बैंकिंग क्षेत्र के नए नवाचार वित्तीय सेवाओं की लागत को कम करके और दायरे व उत्पादों तक पहुंच को सुरक्षित तरीके से बढ़ाकर ग्राहकों की सेवा करें। जैसा कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र एक उच्च कक्षा की ओर अग्रसर है, बैंकों को अपनी व्यावसायिक कार्यनीतियों को फिर से बनाने, ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए उत्पादों को डिजाइन करने और उनकी दक्षता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करके बदले हुए आर्थिक परिवेश में प्रासंगिक बने रहने के लिए अपनी सेवाओं पर कड़ी मेहनत करनी होगी। संभावनाएं बड़ी हैं। हमें मुद्दों पर चिंतन करके समय रहते कार्रवाई करनी होगी।

फुटनोट:

- 1. आरनर, डी. डब्ल्यू, बर्बेरिस, जे & बकले, आर.पी. (2015)। द इवोल्यूशन ऑफ फिनटेक: ए न्यू पोस्ट-क्राइसिस पाराडाइम। जॉर्जटाउन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, 47, 1271
- 2. गुप्ता, ए. & ज़िया, सी (2018)। ए पाराडाइम शिफ्ट इन बैंकिंग : अनफोर्ल्डिंग एशियाज फिनटेक एडवेंचर्स बैंकिंग एंड फाइनेंसियल इश्यू इन इमर्जिंग मार्केट्स (आर्थिक सिद्धांत और अर्थिमिति में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, खंड 25)।
- 3. https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=946
- 4. बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (2019), 'वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट', जून।

आलेख

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पचास वर्ष: एक समालोचनात्मक विश्लेषण

- डॉ. आशीष श्रीवास्तव

संकाय सदस्य एवं सहायक महाप्रबंधक कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक विद्यापीठ मार्ग, पुणे

एक सबल, समर्थ और विकसित बैंकिंग प्रणाली किसी भी देश के आर्थिक विकास की नींव मानी जाती है। आर्थिक विकास एक व्यापक शब्द है जो मुद्रा तथा वित्त से संबंधित प्रणालियों, प्रक्रियाओं, बाजारों, भागीदारों और उनमें प्रयोग किए जाने वाले वित्तीय आस्तियों, वित्तीय देयताओं तथा उनके व्यवहारों के फलस्वरूप रीयल सेक्टर में आय, रोजगार, व्यवसाय, उत्पादन, सेवाएँ, आदि का सृजन करता है।

विकसित देशों के परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय आस्तियों का एक बड़ा भाग वित्तीय बाजारों में केंद्रित पाया जाता है, जबिक भारत जैसे विकासशील देशों में वित्तीय बाजारों में अपेक्षाकृत कम भागीदारी होने के कारण वित्तीय-मध्यस्थता प्रक्रिया में मुख्यत: बैंकों का विशेष महत्व है। बचत कर्ताओं और धन के उपयोगकर्ताओं के बीच क्रेडिट-मध्यस्थता प्रक्रिया के केंद्र में रहने और जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा के दायित्व के कारण बैंकों के ऊपर एक महती ज़िम्मेदारी रहती है जिसके कारण उन्हे बैंकिंग विनियमनों के अधीन कार्य करना होता है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग व्यवस्था का एक बड़ा भाग सरकारी क्षेत्र के बैंकों में केन्द्रित है जिसमें मुख्यत: भारतीय स्टेट बैंक, तथा वर्ष 1969 और 1980 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत किए गए बैंक सम्मिलित हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम 19 जुलाई, 1969 को 14 निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी स्वामित्व में लाने से प्रारम्भ हुआ था, जो दूसरे चरण में वर्ष 1980 में 06 अन्य निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी स्वामित्व में लाने के साथ पूर्ण हुआ।

तालिका 1 में भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के व्यवसाय के मुख्य आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं जिससे पता चलता है कि 31 मार्च 2018 की स्थिति में कुल बैंक जमाओं का 70.1% तथा कुल बैंक ऋणों का 65.1% हिस्सा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास था। पिछले दो दशकों में नए बैंकों के प्रादुर्भाव के साथ इसमें गिरावट आई है परंतु अभी भी अर्थव्यवस्था सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रभावी रूप से प्रमुख भूमिका में हैं।

तालिका 1: भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का व्यवसाय

31 मार्च 2018 की स्थिति में (₹ बिलियन)							
	सरकारी क्षेत्र केबैंक	निजी क्षेत्र केबैंक	विदेशी बैंक	स्माल फ़ाइनेंसबैंक	सभी अनुसूचितवाणिज्यिक बैंक		
जमा	82,623	30,137	4,949	231	117,940		
(प्रतिशत जमा)	70.1%	25.6%	4.2%	0.2%	100%		

ऋण तथा अग्रिम	56,973	26,628	3,510	349	87,460
(प्रतिशत ऋण तथा अग्रिम)	65.1%	30.4%	4.0%	0.4%	100.0%
आस्तियां/ देयताएँ	100,352	42,989	8,676	517	152,533
(प्रतिशत आस्तियां/ देयताएँ)	65.8%	28.2%	5.7%	0.3%	100.0%
स्रोत भारत में तैंकिंग की पत्रचि और प्राप्ति 2017 18 की तालिका IV I से उत्धात					

	भारतीय बैंकिंग परिदृश्य – महत्वपूर्ण घटनाक्रम
अगस्त 1952	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 लागू।
अगस्त 1954	अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति रिपोर्ट प्रस्तुत।
	जिला मुख्यालयों पर अतिरिक्त शाखाएं स्थापित करने और ग्रामीण बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य
जुलाई 1955	से इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई, 1955 को एक सरकारी स्वामित्व वाले संस्थान, भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तित हो गया।
सितंबर 1959	भारतीय स्टेट बैंक (सब्सिडियरी बैंक) अधिनियम, 1959 ने विभिन्न रियासतों के बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक का सहायक बना दिया।
जलाई 1969	50 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ताकि वे देश के विकास में सक्रिय भागीदारी कर सकें।
नवंबर 1973	भारतीय स्टेट बैंक और उसकी सहायक कंपनियों पर लगे कतिपय प्रतिबंध उन्हें अन्य वाणिज्यिक बैंकों के बराबर लाने के लिए हटा दिए गए।
सितंबर 1975	ग्रामीण लोगों को क्रेडिट प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को वैकल्पिक एजेंसियों के रूप में स्थापित किया गया।
अप्रैल 1980	अर्थव्यवस्था के विकास की जरूरतों और राज्य की नीति के अनुरूप लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए छह निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
जनवरी 1982	निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय और संबद्ध सेवाओं के व्यापक पैकेज प्रदान करने के उद्देश्य से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया गया।
অপাহ 1982	कृषि, लघु उद्योग, कुटीर/ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) स्थापित किया गया।
	नरसिंहम समिति की रिपोर्ट द्वारा भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों का प्रारम्भ हुआ।
जनवरी 1993	प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए, जिसके परिणामस्वरूप नए निजी क्षेत्र के बैंक स्थापित हुए।
जुलाई 1994	राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपने पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश की अनुमति दी गई।
फरवरी 2013	निजी क्षेत्र में नए बैंकों के लाइसेंस पर दिशानिर्देश जारी किए गए।
अप्रैल 2014	बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
नवंबर 2014	निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के लाइसेंस हेतु दिशानिर्देश जारी हुए।
अगस्त 2015	ग्यारह पेमेंट बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
सितंबर 2015	दस लघु वित्त बैंक (एसएफबी) स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
	स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक - <u>https://www.rbi.org.in/scripts/chronology.asp</u> x

भारतीय बैंकिंग परिदृश्य का सिंहावलोकन

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के सतत विकास की प्रक्रिया में आए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का उपर्युक्त विवरण इसे सही परिप्रेक्ष्य में समझने में सहायक है। उपर्युक्त कालक्रम के सिंहावलोकन से यह ज्ञात होता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता के बाद से ही राज्य द्वारा देश में बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली के विकास हेतु सतत प्रयास किए जाते रहे हैं, जिनका शुभारम्भ वर्ष 1952 में राज्य वित्तीय अधिनियम, 1951 के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं की स्थापना के प्रयासों से हुआ।

वर्ष 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के साथ ही भारत सरकार ने बैंक शाखाओं के विस्तार, अन्य बैंकों को अंतरण आदि में सहायता और ग्रामीण बचत को बढ़ावा देने हेतु किए जा रहे प्रयासों को बल दिया। बैंकों को सरकार की नीतियों के अनुरूप कार्य करने और बैंकिंग में सामाजिक दायित्वों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से वर्ष 1969 और वर्ष 1980 में क्रमश: 14 और 06 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके साथ ही वर्ष 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई।

वर्ष 1951 से 2018-19 तक के कालखंड में बैंकिंग के स्वरुप को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए यह आवश्यक है कि इसे देश के आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों के साथ संबद्ध करके देखा जाए। नीचे चित्र 1 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति को बैंकिंग क्षेत्र में हुए विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के साथ प्रदर्शित किया गया है।

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 1990 तक लागू आर्थिक नीतियों का एक प्रमुख अवयव सरकार की सक्रिय भागीदारी एवं हिस्सेदारी थी। बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में भी सरकार ने अपने नियंत्रण की वित्तीय संस्थाओं, भारतीय स्टेट बैंक, तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से उस समय की सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का क्रियान्यवयन करने का प्रयास किया। इसके पश्चात, वर्ष 1991 से उदारीकरण की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने और उद्यमिता का विकास करने के प्रयासों के क्रम में नए निजी क्षेत्र के बैंकों को अनुमति दी गई और वर्ष 1994 में सरकारी

क्षेत्र के बैंकों को पूँजी बाजार से धन जुटाने की भी अनुमति दी गई।

एक प्रकार से वर्ष 1969 का पूर्ण सरकारी स्वामित्व के बैंकों का विचार लगभग 25 वर्ष बाद वर्ष 1994 में आंशिक रूप से संशोधित हो गया और बैंकिंग सहित अर्थव्यवस्था के सभी अंगों में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर बल दिया जाने लगा, जिसके साथ ही सकल घरेलू उत्पाद में तेजी से वृद्धि चित्र 1 में देखी जा सकती है। उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक पृथक प्रक्रिया न होकर उस समय के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक मूल्यों एवं नीतियों का ही एक प्रगटीकरण था। बैंक-राष्ट्रीयकरण के परिणामों का एक समालोचनात्मक विवेचन करने हेतु इस पूरे कालखंड के विभिन्न आर्थिक सूचकांकों का विश्लेषण करना आवश्यक है।


॥. बैंक-राष्ट्रीयकरण – पूर्वगामी तथा अनुगामी आर्थिक सूचकांक

बैंक-राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में विवेचना हेतु राष्ट्रीयकरण के पूर्व तथा बाद के वर्षों में प्रमुख बैंकिंग संबंधित आर्थिक सूचकांकों यथा- सकल पूँजी निर्माण, बैंक जमा की वृद्धि दर और बैंक ऋण की वृद्धि दर की प्रवृत्ति अधोप्रस्तुत चित्रों (2, 3, तथा 4) में दर्शाई गई है।


(1) आर्थिक व्यवस्था में बैंकों का एक मुख्य कार्य बचतों के कुशल चैनलाइज़ेशन के द्वारा पूँजी निर्माण को बढ़ावा देना है। चित्र 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू पूँजी निर्माण तथा इसकी दर को प्रदर्शित किया गया है।

यह देखा जा सकता है कि पूँजी निर्माण तथा इसकी दर में तेजी से वृद्धि पिछले दो दशकों में उदारीकरण तथा निजीकरण के दौर में ही हुई है, तथा दोनों चरणों के बैंक-राष्ट्रीयकरण का कोई बहुत विशेष प्रभाव पूँजी निर्माण पर नहीं पड़ा है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि आर्थिक विकास को बढ़ाने हेतु बैंकों के स्वामित्व (सरकारी/निजी) से कहीं अधिक महत्त्व उनकी कार्यकुशलता, व्यवसाय के आकार, स्वरूप और रवैये का है।

चित्र 1: भारत की आर्थिक विकास-यात्रा और बैंकिंग




चित्र 2: सकल घरेलू पूंजी निर्माण




- (2) बैंकों का मुख्य कार्य जमाएं प्राप्त करना तथा ऋण प्रदान करना ही है। चित्र 3 था 4 में क्रमश: बैंक जमाओं तथा बैंक ऋणों की वृद्धि दर को प्रदर्शित किया गया है, जिससे राष्ट्रीयकरण से पूर्व तथा बाद में बैंक जमाओं तथा बैंक ऋणों की वृद्धि दर की प्रवृत्ति तथा उस पर बैंक राष्ट्रीयकरण के प्रभाव को समझा जा सके।
- (3) चित्र 3 में प्रदर्शित बैंक-जमा वृद्धिदरकी प्रवृत्ति से पता चलता है कि दीर्घावधि में बैक जमाओं की वृद्धि दर ऋणात्मक झुकाव के साथ लगभग 15

प्रतिशत रही है। दोनों चरणों के बैंक राष्ट्रीयकरण के कुछ समय बाद विशेषतया 1970 से 1973 के मध्य तथा कुछ सीमा तक 1980-81 में बैंक जमाओं की वृद्धि दर में अपेक्षाकृत तेज बढ़ोत्तरी हुई। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्भवतया राष्ट्रीयकरण के कारण जमाकर्ताओं का बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास बढ़ा जिसके फलस्वरूप जमाओं में अपेक्षाकृत तेज वृद्धि देखी गई, परन्तु यह तेजी दीर्घकालीन नहीं रही और पुन: अपनी दीर्घावधि प्रवृत्ति पर वापस आ गई।

चित्र 3 : बैंक जमा वृद्धि दर (%)




चित्र 4 : बैंक क्रेडिट की वृद्धि दर (%)



(4) चित्र 4 में प्रदर्शित बैंक-ऋण वृद्धि दर की प्रवृत्ति को देखने से पता चलता है कि वर्ष 1969 के बैंक राष्टीयकरण के लगभग 5 वर्षों तक बैंक ऋणों में वृद्धि के दर उनके धनात्मक झ्काव के साथ लगभग 15 प्रतिशत की दीर्घावधि वृद्धि दर से अधिक रही है। यह वृद्धि संभवतया बैंकों द्वारा अधिक त्वरितता से तत्कालीन विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों वित्तपोषण के कारण रही है। वर्ष 1980 में राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में इस प्रकार की कोई वृद्धि दिखलाई नहीं पड़ती है. जबिक वर्ष 1994-96 के मध्य नए निजी क्षेत्र के बैंकों के पदार्पण के साथ बैंक ऋणों के तेजी से प्रसार हुआ दीखता है। इससे यह पता चलता है कि दीर्घावधि में ऋणों के प्रसार में बैंकों के स्वामित्व से अधिक प्रभाव अन्य आर्थिक तथा वाह्य कारणों का रहा है।

(5) चित्र 5 द्वारा भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक वैंकों की 1960-61 से 2017-18 के दौरान ऋण-जमाअनुपात, ऋण-जीडीपीअनुपात, तथा जमा-जीडीपी अनुपात की प्रवृत्ति प्रस्तुत की गई है। यह देखा जा सकता है कि 90 के दशक में हुई कमी को छोड़कर क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात लगभग 70 प्रतिशत (2017-18 के दौरान 75.49 प्रतिशत) रहा है। यह भारत में बैंकों के लिए वैधानिक आरक्षित और

तरलता आवश्यकताओं के मद्देनजर ठीक है और यह इस तथ्य के कारण भी है कि भारत में बैंक प्राथमिक रूप से जमाओं द्वारा वित्त पोषित हैं और उधार ली गई निधि के द्वारा नहीं। बैंक राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण का अच्छा प्रभाव क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात पर प्रदर्शित होता है। यह वह युग था जब बैंक राष्ट्रीयकरण ने भारत में बैंकिंग की कवरेज और पहुंच का विस्तार किया। ऋण–जीडीपी अनुपात, तथा जमा-जीडीपी अनुपात पिछली सदी के अंतिम दशक के आखिरी वर्षों में हुई कुछ कमी को छोड़कर लगभग सतत रूप से बढ़ता रहा है और इस पर बैंक राष्ट्रीयकरण का कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं देता है। और मुख्यत: यह बैंकिंग की बढ़ती पैठ और भारतीय अर्थव्यवस्था के औपचारिककरण फलस्वरूप ही है। 90 के दशक के दौरान, बैंक लाइसेंसिंग से संबंधित विनियमों में एक बड़ा बदलाव हुआ और नई पीढ़ी के निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक सामने आए। इस अवधि में प्रौद्योगिकी-संचालित बैंकिंग के लिए बहुत कार्य किया गया और बाद के कई वर्षों में वित्तीय समावेशन पर बहुत बल दिया गया। स्वाभाविक रूप से संस्थागत और प्रणाली विकास पर ध्यान देने और समुचित बैंकिंग विनियमों के कार्यान्यवयन ने देश की बैंकिंग आधारित आर्थिक वृद्धि सकारात्मक योगदान



चित्र 5 : ऋण–जमा अनुपात, ऋण–जीडीपी अनुपात तथा जमा-जीडीपी अनुपात की प्रवृत्ति

III. बैंकिंग का वर्तमान परिवेश एवं भविष्य

भारत में बैंकिंग का वर्तमान परिवेश और परिदृश्य अपार संभावनाएं प्रस्तुत करता है। बहुत बड़ा मध्यम वर्ग, वित्तीय समावेशन में व्याप्त असीम व्यावसायिक अवसर और अर्थव्यवस्था का बढ़ता औपचारिककरण, बैकों को अपने व्यवसाय को बढ़ाते हुए देश को तेज आर्थिक विकास की दिशा में ले जाने में सक्षम है। प्रौद्योगिकी-संचालित बैंकिंग के आगमन ने बैकों के काम करने के तरीकों में आमूल-चूल परिवर्तन ला दिया है और सरकारी अथवा निजी बैंकों की कार्यप्रणालियों के अंतर को लगभग मिटा दिया है। राष्ट्रीयकरण के दौर में जिन क्षेत्रों में कार्य करना एक सामाजिक और नैतिक दायित्व माना जाता था, वह क्षेत्र आज बैकों की व्यवसाय-वृद्धि और लाभप्रदता के लिए जाने जाते हैं। नए लघु वित्त बैंकों तथा भुगतान बैंकों ने बैंकिग व्यवसाय को नए विस्तार दिए हैं। आज की चुनौतियों का सामना करने हेत् बैंकों के विस्तार के साथ-साथ उनके समुचित पूंजीकरण, पुनर्गठन और समेकन की आवश्यकता है। एक मजबूत और सक्षम बैंकिंग प्रणाली अपेक्षित है जिसमें सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंक आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में प्रभावी योगदान करने के लिए व्यवसायिक दृष्टिकोण और कार्यकुशलता से बैंकिंग सेवाओं की पहुँच का विस्तार करते हुए और उनकी लागत कम करते हुए कार्य किए जाएँ। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि बैंक अपनी लाभप्रदता, व्यवसाय विकास और कुशलता पर ध्यान केन्द्रित करें। स्वाभाविक रूप से इसमें राष्ट्रीयकृत या निजी क्षेत्र के

बैंकों के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी, निजी बैंकों के समान ही, व्यवसायिक रूप से सफल होना और आत्म-निर्भर होना उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नितांत आवश्यक है।

उपसंहार

आज के परिप्रेक्ष्य में बैंक-राष्ट्रीयकरण की समालोचना तथा उस पर चर्चा राष्ट्रीयकरण के दौर के समय-विशेष के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिदश्य को ध्यान में रखते हए की जानी चाहिए। एक सामाजिक-आर्थिक परिवेश जिसमें राज्य (स्टेट) की एक प्रमुख भूमिका अपेक्षित थी, बैंक-राष्ट्रीयकरण कदाचित उस समय की मांग के अनुरूप ही था और बैंक-राष्टीयकरण ने भारत में बैंकिंग का विस्तार ही किया था। समय के साथ, आर्थिक विचारों, सरकारी नीतियों एवं बैंकिंग विनियमों में बदलाव आए और बैंकिंग के स्वरुप में काफी परिवर्तन आ गए। आज के परिदृश्य में यह स्पष्ट है कि सफलता के लिए बैंकों के स्वामित्व से कहीं अधिक महत्व उनकी क्रियाशीलता, कुशलता और व्यवसायिक कौशल का है। बैकों के विभिन्न लक्ष्यों को सामाजिक दायित्व या विनियामकीय विवशता न समझते हुए उनमें व्यवसाय विकास और लाभप्रदता की संभावनाएं तलाश पाने की क्षमता विकसित करना अत्यंत ही आवश्यक है। बैंक-राष्टीयकरण की स्वर्ण जयंती के अवसर पर राष्ट्रीयकरण के लक्ष्यों का बैंकों की व्यवसायिक सफलता के साथ प्रभावी समायोजन ही देश के समग्र विकास की कुंजी है।

संदर्भ:

भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस, आरबीआई का आंकड़ा भंडार, भारतीय रिज़र्व बैंक (एच.बी.एस तालिकाएँ – 02, 12, 13, 224, 229, 230, 231)

https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications

कृषि और समावेशी विकास

- डॉ. रमाकांत शर्मा (सेवानिवृत महाप्रबंधक, आरबीआई) 402, श्रीरामनिवास पेस्तम सागर रोड नं. 3, चेंबूर, मुंबई

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की समग्र उत्पादकता में प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन कृषि की अपनी समस्याओं के कारण, इसकी उत्पादकता चिंता का विषय रहती आई है।

भारत जैसे विकासशील देश में उच्चतर उत्पादकता के माध्यम से कृषि की लाभप्रदता बढ़ाना बहुत जरूरी है। उपखंडन और उपविभाजन तथा बढ़ते शहरीकरण और सड़क, पुल आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं में विस्तार के कारण कृषि भूमि लगातार कम हो रही है। इसलिए कृषि में तकनीक और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाये जाने, सिंचाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा कृषि उत्पादों के भंडारण तथा वितरण के लिए समुचित और बेहतर व्यवस्था करने की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। यदि देश को तेजी से विकास के रास्ते पर ले जाना है और ग्रामीण गरीबी में कमी लानी है तो कृषि की उत्पाकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाना ही होगा।

कृषि और समावेशी विकास का संबंध

'एग्रीकल्चर : दि वे टू इनक्लुसिव ग्रोथ' (हरनीत कौर) के अनुसार, कृषि और समावेशी विकास का परस्पर गहरा संबंध है, क्योंकि –

- कृषि आर्थिक संवृद्धि को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- देश में गरीबी का स्तर कम करने में सहायक होती
 है।
- उत्पादक रोजगार उपलब्ध कराती है।

आर्थिक संवृद्धि में कृषि की भूमिका

आर्थिक संवृद्धि में कृषि निम्नलिखित दो कारणों से केंद्रीय भूमिका निभाती है: पहला, सकल घरेलू उत्पाद में इसका बड़ा हिस्सा है और दूसरा, यह संरचनागत रूपांतरण में उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है क्योंकि यह देश के संसाधनों को कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों से उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र में अंतरित करती है। संरचनागत रूपांतरण दो प्रकार से हो सकता है –

- 1. कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाया जाए, और
- 2. कृषि क्षेत्र के बाहर उत्पादकता में सुधार लाया जाए।

इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यदि भारत की आर्थिक संवृद्धि दर को 10 प्रतिशत या उससे ऊपर के लक्ष्य तक ले जाना है तो यह काम कृषि की संवृद्धि दर को बढ़ाए बिना नहीं किया जा सकता। इसके लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है कि-

- कृषि के लिए बजट में अधिक प्रावधान किया जाए।
- कृषि में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश बढ़ाने का प्रयास किया जाए।
- उपज और उत्पादन में सुधार लाने के लिए कृषि अनुसंधान पर अधिक व्यय किया जाए।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाते हुए वसूली और वितरण दोनों के बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था की जाए।
- सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए। अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए और यथावश्यक नई परियोजनाएं शुरू की जाएं। नदियों को आपस में जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना को गति दी जाए ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में भी नदियों का पानी पहुंच सके।
- समावेशी विकास के लिए किसानों की आय में वृद्धि की जाए।
- कृषि उत्पादों के भंडारण की तथा मंडियों तक ले जाने की बेहतर व्यवस्था की जाए। इसके लिए सुविचारित आयोजना, मांग का सही अनुमान, परिवहन की सुविधाएं और पर्याप्त वेयर-हाउसिंग की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी होगी।
- कृषि के लिए कर प्रोत्साहन योजनाएं इस प्रकार लागू की जाएं कि उनका लाभ समृद्ध किसानों को नहीं, बल्कि गरीब और सीमांत किसानों को मिले।

- कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए बड़े लेकिन प्राप्य लक्ष्य निर्धारित किए जाएं।
- कृषि संबंधी मूल्य-नीति उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के हितों को ध्यान में रख कर तय की जाए।
- कृषि क्षेत्र में सब्सिडी कम की जाए और निवेश बढ़ाने के प्रयास किए जाएं।
- कृषि की छोटी जोतों की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय आयोग की स्थापना की जाए।

कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान और सशक्तिकरण

सुरेश पाल (डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चरल इकॉनामिक्स) के लेख "एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट फॉर इनक्लुसिव इकॉनामिक ग्रोथ" में इस बात पर बल दिया गया है कि समेकित विकास के लिए कृषि विकास में महिलाओं को मुख्य धारा में लाए जाने की जरूरत है। ग्रामीण महिलाओं को कृषि विकास से न जोड़े जाने से बच्चों के स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप श्रम की उत्पादकता तथा आर्थिक संवृद्धि पर दूरगामी प्रभाव पड़ना निश्चित हैं।

महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जिन मुद्दों पर अकसर चर्चा की जाती है, वे हैं— भूमि जैसी उत्पादक आस्तियों तक महिलाओं की पहुंच और उनका नियंत्रण, उद्यमिता और कौशल विकास, शिक्षा तथा विकासात्मक कार्यक्रमों में उनके प्रतिनिधित्व के लिए कानूनी प्रावधान। तथापि, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास, शिक्षा तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार, कृषि के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं को भी देश के समावेशी विकास से जोड़ा जा सकता है।

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि लाकर ग्रामीण-शहरी आय की असमानता को कम किया जा सकता है, आय के विशाखन के लिए कृषीतर क्षेत्र में विकास को गति दी जा सकती है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाया जा सकता है और ग्रामीण गरीबी को कम किया जा सकता है तथा देश के समावेशी विकास को बल मिल सकता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

कृषि की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की गरीबी दूर करने के लिए भारत सरकार ने कई नवोन्मेषी कदम उठाए हैं. जिनमें से मुख्य हैं –

1. किसानों की आय दुगुनी करना

भारत सरकार का लक्ष्य है कि समयबद्ध रूप से किसानों की आय को दुगुना कर दिया जाए। इस लक्ष्य को कार्य रूप में परिणत करने के लिए सरकार ने श्री अशोक दलवई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था जिसे इस सबंध में सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था। इस समिति ने सितंबर 2018 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के अनुसार सरकार ने 2018-19 के बजट में ही कई कदम उठाने की घोषणा की थी, जिन पर अमल भी शुरू किया जा चुका है। उनमें से कुछ हैं –

- 100 करोड़ रुपये से कम व्यापारावर्त वाले कृषक उत्पादक संघों (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस) को पहले पांच वर्षों तक आयकर में छूट दी गई है ताकि फसल-बाद मूल्य योजन में पेशेवराना रुख को प्रोत्साहित किया जा सके।
- वरीयत: 1,000 हेक्टेयर प्रत्येक के बड़े क्लस्टरों में ग्राम उत्पादक संघों तथा कृषक उत्पादक संघों के माध्यम से ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना।
- कृषक उत्पादक संघों / ग्राम उत्पादक संघों के माध्यम से बागवानी आपूर्ति श्रृंखला में बड़े पैमाने की बचत प्राप्त करने के लिए क्लस्टर आधारित खेती तथा विकास करना।
- "ऑपरेशन फ्लड" की तरह "ऑपरेशन ग्रीन" चलाना, जिसमें कृषि संसाधनों, प्रसंस्करण तथा पेशेवराना प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसके लिए 2018-19 के केंद्र सरकार के बजट में ही 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।
- मछलीपालन, जलजीव पालन तथा पशुपालन हेतु मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये की आधारभूत निधि उपलब्ध कराना।
- 22,000 ग्रामीण स्तरीय बाजार और समूहन हब स्थापित करने तथा 585 एपीएमसी का उन्नयन करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की कृषि-बाजार मूलभूत सुविधा निधि का प्रावधान करना।
- कृषि के लिए मूल्य और मांग के पूर्वानुमान, फ्यूचर्स और ऑप्शंस तथा आयात-निर्यात नीतियां विकसित करने हेतु संस्थागत व्यवस्था करना।
- 11 लाख करोड़ रुपये के ऋण लक्ष्य को बढ़ा कर कृषि के लिए संस्थागत ऋण में वृद्धि करना।
- अघोषित खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की लागत का डेढ़ गुना रखना।

- बांस को "हरा सोना" माना जाता है, अत: इस क्षेत्र के संपूर्ण उन्नयन के लिए 1,290 करोड़ रुपये के साथ पुनर्संरचित बांस मिशन शुरू करना।
- प्रधानमंत्री सिंचाई विकास योजना के अंतर्गत सिंचाई विकास के लिए बजट आबंटन बढ़ा कर 2,600 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- कृषि प्रसंस्करण वित्तपोषण वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को आबंटन की राशि दुगुनी करते हुए 1,400 करोड़ रुपये कर दी गई है।
- महिलाओं के स्वयं-सहायता समूहों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एनआरएलएम को आबंटित राशि बढ़ाते हुए उसे 3,570 करोड़ रुपये करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका तथा मूलभूत सुविधाओं (सड़क, घर, शौचालय आदि) के सृजन के लिए सरकार 14.34 लाख करोड़ रुपये का व्यय करेगी।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-III में ग्रामीण कृषि बाजारों को जोड़ने के लिए लिंक रोड बनाना शामिल है।
- किसानों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना को मछली पालक तथा पशुपालक किसानों के लिए भी खोल दिया गया है।
- सरकार ने जून 2019 में यह घोषणा की थी कि कृषि क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

वर्ष 2019-20 के लिए बजट तैयार करने से पूर्व ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों से सलाह-मशिवरे के दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि किसानी से गरीबी दूर करने के लिए सरकार कई कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि खेती और उससे जुड़े कार्यों को लाभदायक बना कर बेरोजगारी और गरीबी दूर करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सरकार मछली पालन के लिए नीली क्रांति लाने हेतु भी कदम बढ़ा रही है। तीसरी फसल लेकर किसानों को संपन्न बनाने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने पर भी विचार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

प्रधानमंत्री सम्मान निधि भारत के किसानों को बुबाई से पहले बीज, खाद आदि जैसी निविष्टियों के लिए साहुकारों, महाजनों आदि जैसी अनौपचारिक संस्थाओं से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेने से बचाने के लिए है। गरीब किसान खेतीबाड़ी के लिए इन चीजों के लिए भी ऋण लेता है, यह बहुत ही शोचनीय स्थिति है। इस स्थिति में कुछ बदलाव लाने के लिए ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना अमल में लाई गई।

उक्त योजना की घोषणा 01 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार के वित्तमंत्री द्वारा लोकसभा में पेश अंतरिम बजट के दौरान की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सम्मान राशि देने का प्रावधान किया गया था। यह राशि उक्त सीमांत किसानों को तीन किस्तों में अदा की जानी है और बिचौलियों से बचाने के लिए सीधे ही उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिवर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा जिसके लिए बजट में उचित प्रावधान किया जाएगा। प्रारंभिक रूप से इसके लिए बजट में 20,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा चुकी है और योजना कोअमल में लाया जा चका है।

इस योजना से 12 करोड़ से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचेगा। इससे वे बुबाई से ठीक पहले बीज, खाद आदि के लिए हमेशा नकदी के संकट से जूझते रहने से राहत पा सकेंगे। इस योजना का लाभ सही किसानों तक पहुंचे, इसे सुनिश्चित करने की दृष्टि से सभी राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई कि वे योजना के पात्र किसानों के बैंक खातों, जोत आदि से संबंधित ब्योरे केंद्र सरकार को उपलब्ध कराएं।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत वर्ष में तीन बार दी जाने वाली दो-दो हजार रुपये की किस्तों में से जनवरी-मार्च 2019 तिमाही की एक किस्त उन किसानों को पहले ही दी जा चुकी है, जिनके ब्योरे केंद्र सरकार के पास पहुंच चुके थे। किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त जुलाई 2019 में दे दी गई है। इस योजना का पूरा लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों से कहा है कि वे पात्र किसान परिवारों व लाभार्थियों के नामांकन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करें।

योजना का विस्तार

हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए 2 हेक्टेयर कृषि की सीमा हटा ली जाए। इसका मतलब यह हुआ कि अब भूमिहीन किसानों तथा बंटाई पर काम करने वाले किसानों को छोड़कर देश के शेष 14.5 करोड़ किसान भी इस योजना के अतर्गत आ जाएंगे। योजना के इस विस्तार से 2 करोड़ अतिरिक्त किसानों को राहत मिलेगी जिनमें 8 लाख बड़े किसान भी शामिल हैं।

इस योजना के लिए अपात्रता

इस योजना के लिए निम्नलिखित किसान अपात्र हैं-

- ऐसे भूमिधारक किसान जिनके परिवार का एक या अधिक सदस्य पूर्व या वर्तमान एम.पी. हो या एम.एल.ए. हो, मेयर हो या फिर जिला पंचायत का अध्यक्ष या किसी संवैधानिक पद पर हो / रहा हो।
- ऐसे किसान परिवार भी इस योजना के अंतर्गत नहीं आते जिनके परिवार का एक या अधिक सदस्य सरकारी कर्मचारी हो या सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुका हो। लेकिन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या श्रेणी डी के कमर्चारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

- ऐसे किसान परिवार जिनका कोई एक या अधिक सदस्य सरकारी पेंशनधारी हो और जिसकी मासिक पेंशन 10000 रुपये या उससे अधिक हो अथवा पिछले कर-निर्धारण वर्ष में वह करदाता रहा हो।
- ऐसे किसान परिवार जिनका कोई एक या अधिक सदस्य पेशेवर डाक्टर, इंजीनियर, वकील, सनदी लेखाकार या वास्तुविद हो

बड़े किसान और किसान सम्मान योजना

जैसािक ऊपर उल्लेख किया गया है, इस योजना के विस्तार से इसका लाभ करीब 8 लाख बड़े किसानों को भी मिलने लगेगा। हालांकि, कुल किसानों में ऐसे किसानों का प्रतिशत मात्र 0.6 ही है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा तथा गुजरात जैसे राज्यों में उनकी संख्या काफी बड़ी है। इसे निम्न सारणी से देखा जा सकता है।

विभिन्न राज्यों में उक्त बड़े किसानों का प्रतिशत

भूमिधारक किसानों की कुल सं.	राज्य	बड़े किसानों	राज्य में
14.6 करोड़		की संख्या	प्रतिशत
लगभग 12.6 करोड़ छोटे और	राजस्थान	3.6 लाख	4.7
सीमांत किसानों (86.2 प्रतिशत)	मध्यप्रदेश	63,000	0.6
को लाभ मिलना था	महाराष्ट्र	61,000	0.4
	पंजाब कर्नाटक	58,000	5.3 0.6
	, ,, = ,	56,000	0.0
विस्तारित योजना से 2 करोड़	हरियाणा	41,000	2.5
अधिक किसान लाभान्वित	गुजरात उ.प्र.	40,000	0.7 0.1
	छत्तीसगढ़	23,000	0.6
		23,000	
उक्त 2 करोड़ में से 83 लाख	झारखंड	20,000	0.7
बड़े किसान हैं	तमिलनाडु	15,000	0.2
उक्त बड़े किसान देश के कुल	आंध्रप्रदेश	15,000	0.2
किसानों का 0.6 प्रतिशत हैं और 12 राज्यों में हैं			

(स्रोत: कृषि जनगणना 2015-16)

शेष राज्यों में क्रमश: तेलंगाना में 9,000, असम और उड़ीसा प्रत्येक में 4,000, बिहार और हिमाचल प्रत्येक में 3,000, केरल में 2,000 तथा उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू-कश्मीर प्रत्येक में 1,000 बड़े किसान हैं। ध्यान देने की बात यह है कि देश भर के उक्त 8 लाख (0.6 प्रतिशत) बड़े किसानों

को छोड़ दें तो 12.6 करोड़ (86.2 प्रतिशत) लघु और सीमांत किसानों को उक्त योजना का लाभ मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह उक्त वर्ग के सभी किसानों को समाहित करते हुए चलने वाली योजना है। इस योजना का नाम किसान सम्मान निधि योजना रखा जाना बिलकुल सही है क्योंकि बुबाई के लिए बीज जैसी मूलभूत जरूरत के लिए अब इन्हें किसी के

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन :: अक्तूबर 2019-मार्च 2020

सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और वे सम्मान से जीने के हकदार बनेंगे और इस योजना के माध्यम से समावेशी विकास की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा जा सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में किसानों के लिए प्रावधान

वर्ष 2019-20 के केंद्र सरकार के बजट में अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की बात कही गई है। साथ ही, किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से कुछ ये हैं-

- कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा।
- किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने वाली निजी उद्यमता को समर्थन और सहयोग दिया जाएगा।
- किसानों के लिए भी "ईज़ ऑफ लिविंग" लागू किया जाएगा।
- सहकारिता के जरिए डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- वर्ष 2019-20 के दौरान खादी, बांस और शहद के लिए 100 नए क्लस्टरों की स्थापना की जाएगी। ऐसे उद्योगों में कौशल विकास के लिए 80 आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे।
- कृषि से संलग्न अन्य उद्योगों के लिए किसानों को पहले से ही प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि उनकी आय को दोगुना करने में मदद की जा सके। इसका दायरा बढ़ाया जाएगा।
- कृषि संबंधी बुनियादी सुविधाओं में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे।

- राज्यों के साथ मिलकर ईएनएम को लागू किया जाएगा।
- देश को तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को हर संभव मदद दी जाएगी।
- किसानों को उत्पादक से निर्यातक की भूमिका में लाया जाएगा।

• जीरो बजट खेती

वर्ष 2019-20 के केंद्र सरकार के बजट में किसानों के लिए सबसे बड़ी सौगात जीरो बजट वाली खेती अर्थात् बिना लागत वाली खेती का नुस्खा प्रदान करना है। इसके तहत देश में प्राचीन पद्धित से बड़े पैमाने पर खेती शुरू की जाएगी। इसमें हल-बैल से कृषि कार्य और गाय के गोबर, मूत्र, नीम, गुड़, बेसन, पानी और सड़े-गले खरपतवार निर्मित खाद से ही कृषि उत्पादन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि ये सभी चीजें किसानों के पास सहज रूप से उपलब्ध होती हैं, इसलिए उन पर कोई लागत नहीं आएगी। लागत न होने के कारण उसे कर्ज भी नहीं लेना पड़ेगा।

कृषि क्षेत्र को भारत के मूल की ओर लौटाने की केंद्र सरकार की उक्त सोच से जैविक खेती को बल मिलेगा। देश और दुनिया में इन दिनों जैविक खेती और ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों का एक बड़ा बाजार खड़ा हो गया है, लेकिन सीमित उत्पादन के कारण वह काफी महंगा मिलता है। इस परिप्रेक्ष्य में, कम लागत पर जैविक खेती के माध्यम से किसानों को एक नया और बड़ा बाजार सहज ही उपलब्ध हो सकेगा, जिससे जहां एक ओर मांग को पूरा करने के लिए जैविक खाद्य पदार्थों की पूर्ति में इजाफा हो सकेगा, वहीं किसानों की आय भी बढ़ेगी।

बैंकों का विलय और 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

- अभिमन्यु

अधिकारी, इलाहाबाद बैंक, मंडल कार्यालय 17, संसद मार्ग, नई दिल्ली

आ र्थिक जगत में पिछले साल दो तिथियां काफी चर्चा में रहीं। एक तरफ जहां 19 जुलाई, 2019 को सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष पूरे हुए; वहीं 30 अगस्त को माननीय वित्तमंत्री ने बैंकों के विलय करने घोषणा की। 2017 में जहां 27 बैंक थे, वहीं मौजूदा समय में विलय के पश्चात जो तस्वीर बनेगी उसके अनुसार 07 बड़े बैंक और कुल 12 सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक होंगे। पिछले पांच दशक में बैंकिंग परिदृश्य काफी बदल चुका है। देश बदल रहा है, कारोबार के तरीके और अर्थव्यवस्था का आकार बदल रहा है, ऐसे में बैंकिंग का तरीका भी बदल गया है।

सरकार वित्तीय रूप से मज़बूत बड़े बैंक बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की नीति पर चल रही है। इसमें वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बैंक बनाने पर ज़ोर है। सरकार के मतानुसार बैंकों के अच्छे विनियमन और नियंत्रण के लिए बैंकों का विलय ज़रूरी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इससे बैंकों की दक्षता और संचालन में सुधार होगा। बैंकों के विलय का फैसला इन सब के साथ-साथ बहुत सारे कारणों की वजह से लिया गया है। समग्र रूप से कहा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों का विलय काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है।

बैंकों के विलय की पृष्ठभूमि

वैसे तो बैंकों के विलय की बात 1992-93 के दौरान ही उठने लगी थी। 1991 में बैंकिंग सुधार के लिए एम. नरिसम्हन की अध्यक्षता में सिमिति का गठन हुआ। नरिसम्हन सिमिति ने देश में तीन-चार अंतरराष्ट्रीय स्तर के बैंक और दस राष्ट्रीय बैंकों की सिफारिश की थी। करीब 27 वर्षों के बाद उस पर अमल किया जाना शुरू हुआ है। बैंकों के उस दौर में दम तोड़ती अर्थव्यवस्था और उदारीकरण के कारण आर्थिक विशेषज्ञों से लेकर एसौचेम, फिक्की, सीआईआई सहित कई संगठनों ने भी इसकी मांग उठाते हुए ऐसी सलाह दी थी।

1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। इसके बाद जब तब ऐसी सलाह मिलती रही और मांग उठती रही। इसके बाद अगले दौर में अगस्त 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का एसबीआई में ही विलय किया गया। इस बीच छोटे निजी बैंकों का विलय बड़े बैंकों में होता रहा। साल 2008 की वैश्विक मंदी से अमरीका में तबाह हुए 432 बैंकों से दुनिया के कई देशों ने यह सबक लिया कि बड़े बैंक ही वित्तीय संकट को झेल पाने में सक्षम होते हैं।

बैंकों के विलय के कारण एवं तर्क

बैंकों के विलय की आवश्यकता 2004 के बाद से ही जताई गई। 2004 से 2014 तक सिर्फ चर्चा होती रही, मॉडल स्टडी किए गए। लेकिन कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई जा सकी। मानव संसाधन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, वेतन व भत्ते, प्रणाली आदि में एकरूपता का नहीं होना इसका एक बहुत बड़ा कारण था। बैंक स्टाफ यूनियनों को विलय के लिये राज़ी करना, मानव संसाधन का समायोजन, विसंगति की स्थिति में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था आदि भी मामले में महत्वपूर्ण अड़चनें थीं।

एकीकरण के संबंध में आर. एस. गुजराल की अध्यक्षता में बनी समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट जनवरी, 2012 में सौंपी थी, जिसमें सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों को आपस में मिलाकर 07 बड़े बैंक बनाने का सुझाव दिया गया था। सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण का रोडमैप बैंक बोर्ड ब्यूरो ने तैयार किया था और इसके लिए सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों को छह समूहों में बांटा गया था। बैंकों के समूहों का निर्णय मानव संसाधन, ई-गवर्नेंस, आंतरिक लेखा-परीक्षा, धोखाधड़ी, सीबीएस (कोर बैंकिंग सॉल्यूशन) एवं वसूली को आधार बनाकर लिया गया था। 2014 के बाद से इसमें तेज़ी आई और इसके लाभ जो बताए गए, उनके पीछे जो तर्क दिए गए वे इस प्रकार हैं:

1. मज़बूत अर्थव्यवस्था के लिए कम और बड़े बैंक

भारतीय आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी अच्छी अर्थव्यवस्था (जिनकी जीडीपी काफी अच्छी है) वाले देशों में ज्यादा बैंक नहीं होते हैं। इनका कहना है कि अर्थव्यवस्था को सही तौर पर चलाने के लिए पांच से 10 बड़े बैंक भी पर्याप्त हैं। अधिक बैंक होने पर निगरानी, नियंत्रण, दिशानिर्देशों के अनुपालन आदि की देखरेख में चूक होने की गुंजाइश बनी रहती है।

अभी भारत में किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या अन्य किसी प्रस्ताव को वित्त प्रदान करने हेतु कई बैंक मिलकर एक कंसोर्टियम बनाकर पूरा करते हैं। क्योंकि कोई भी बैंक किसी एक परियोजना पर इतना बड़ा एक्सपोजर देने की स्थिति में नहीं होता है। इसलिए बड़े बैंक ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे।

2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

05 जुलाई 2019 को बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री महोदया ने औपचारिक रूप से 5 टिलियन के लक्ष्य को सदन और देश के समक्ष रखा।अमेरिका को 5 दिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने में नौ साल (1979 से 1988) लग गए, जापान को आठ साल (1987 से 1984-मीडिया रिपोर्ट्स) और चीन को महज तीन साल (2005 से 2008) लगे थे। इससे यह संदेश मिलता है कि चीन अगर तीन साल में यह मुक़ाम हासिल कर सकता है, तो भारत पांच साल में ऐसा क्यों नहीं कर सकता। देश को एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने में 55 साल लग गए और सिर्फ पिछले पांच साल में ही अर्थव्यवस्था 2 टिलियन डॉलर को पार कर गई। पिछले पांच साल के दौरान अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर 2.7 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से है और कुछ समय के लिए तो हम चीन को पीछे छोड़ चुके हैं।अर्थव्यवस्था में भारत काफी समय तक पांचवें नंबर पर रह चुका है। यह स्थान फ्रांस को पीछे छोड़कर कर हासिल किया गया था।

05 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता है। अगर बैंकों के पास बड़े प्रोजेक्ट को ऋण देने की सुविधा होगी तो इससे देश का आर्थिक विकास तेज़ होगा। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बड़े बैंकों की

आवश्यकता होगी। इस कमी को साल 2005-2006 में भी मससूस किया गया था जब आर्सेलर-मित्तल डील के दौरान यह पाया गया कि भारत का ऐसा कोई बैंक नहीं जो ऐसे सौदे को पूरा करवाने के लिए योग्यता रखता हो। तभी से बड़े बैंकों की आवश्यकता जताई जाने लगी। यह कमी तब पूरी हो पाई जब 2017 में अपने सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का विलय भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। अब एसबीआई विश्व के टॉप-100 बैंकों में शामिल हो गया है।

3. अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से जूझते बैंकों की हालत सुधारना

कई सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए काफी बढ़ गया है। ऐसे में सरकार के पास बैंकों का विलय करना मजबूरी भी है। जानकारों के मुताबिक कई बैंकों का एनपीए सात फीसदी के पार जा चुका है। दो तिहाई बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के प्रतिबंध में भी फंसे रहे। ऐसे में विलय का रास्ता ही बैंकों के एनपीए को कम करने का नज़र आता है। विलय से सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों का 88 फीसदी बिजनेस इन 10 बैंकों से चार बैंकों के पास चला जाएगा। इससे इन 10 बैंकों का एनपीए पांच से सात फीसदी तक कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।

4. बैंकिंग के चीनी मॉडल "बिग फोर" की राह पर भारतीय बैंकों का स्वरूप

तथ्यों के आधार पर और कहने में भले ही सही प्रतीत नहीं होता लेकिन सच्चाई यही है कि भारत में बैंकिंग बिल्कुल चीन मॉडल की राह पर है। चीन में सार्वजनिक क्षेत्र के महज 4 बैंक हैं। इनको "बिग फोर" के नाम से जाना जाता है। बैंक ऑफ चाइना, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। नाम के अनुसार ही इनका कारोबार का क्षेत्र भी निर्धारित है।

2004 से 2006 के बीच भारत में भी इसी मॉडल को अपनाने पर चर्चाएं शुरू हुई थीं और मॉडल स्टडी तक भी किए गए। तत्कालीन वित्तमंत्री इससे काफी प्रभावित थे और इसी तर्ज़ पर काम शुरू हुआ। सिर्फ कार्यान्वयन तब नहीं हो पाया जिनकी अपनी वजहें थीं, कुछ राजनैतिक तो कुछ नीतिगत। 2014 के बाद एक बार फिर बड़े बैंक बनाने पर अमल शुरू हुआ और सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक में उसके सहयोगी बैंकों के विलय से इसकी शुरूआत हुई।

5. वैश्विक स्तर प्रतिस्पर्धी बैंक बनाने की योजना

इस फैसले के परिणामस्वरूप देश के बड़े सार्वजिनक बैंक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने में सक्षम हो जाएंगे। हाल ही में कई अवसरों पर यह सामने आया कि देश का कोई भी बैंक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है। अमेरिका में 6799 एफडीआईसी इंश्योर्ड कमर्शियल बैंकहैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेज की कुल आस्तियां भारत की मौजूदा कुल अर्थव्यवस्था 2.75 ट्रिलियन के बराबर है। जेपी मॉर्गन भी विश्व के सबसे बड़े बैंकों में छठवें स्थान पर है।

विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में बैंकों की संख्या का हिसाब किताब सीमित है। कुल चार सरकारी बैंकों के साथ कुल 12 बैंक राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार के लिए काम कर रहे हैं। आस्तियों के आकारके नज़रिए से विश्व के टॉप 100 में से पहले चार टॉप बैंक चीन के हैं और चीन के सबसे बड़े बैंक के पास 4.05 ट्रिलियन की आस्तियां है।

अब अगर भारत की बात करें तो वर्ष 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों— स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और भारतीय महिला बैंक का स्टेट बैंक के साथ विलय किए जाने के बाद भारतीय स्टेट बैंक विश्व के 50 बड़े बैंकों में शामिल हो गया है। ये भारत का एकमात्र बैंक है जो स्थान बना पाया। जबिक चीन के 20, अमेरिका के 10, जापान के 9, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी के 6-6 बैंक इसमें शामिल हैं। इस तरह से देखा जाए तो भारतीय बैंकिंग जगत में अभी बहुत कुछ किया जाना बाक़ी है। इस विलय के बाद शायद भारत के 2 बैंक इस सूची में स्थान बना पाएं।

विलय के चरण

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय का पहला चरण 2017 में भारतीय स्टेट बैंक में उसके सहयोगी बैंकों के साथ शुरू हुआ। इसके बाद 2018 में बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक के विलय का दूसरा चरण संपन्न हुआ। तीसरे चरण में एक साथ 10 बैंकों का विलय करते हुए 4 बड़े बैंक बनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार विलय के बाद कुल 07 बड़े बैंकों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक हो गए।



ग्राफिक्स सौजन्य : गुगल इमेज

विलय का असर और लाभ

सरकार और आर्थिक जगत के जानकारों का कहना है कि रातों-रात बैंकों की कायापलट वाले इस फैसले से बनने वाले नए बैंक के कस्टमर बेस, मार्केट में पहुंच और संचालन में दक्षता बढ़ेगी। इसके अलावा, ग्राहकों को अच्छी सेवाएं मिलेंगी। बड़े बैंकों को अर्थव्यवस्था से बड़ा लाभ होता है और वे अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए आसानी से कॉस्ट-किटंग कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से सरकार लगातार बैंकों में पूंजी डाल रही थी, जिसका कई स्तरों पर विरोध भी हो रहा था। अब बड़े बैंक बनने के बाद ऋण पोर्टफोलियो के लिए आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में वे सक्षम होंगे और सरकार पर दबाव भी कम होगा।

बड़े बैंकों के पास ज्यादा पूंजी होती है। सरकार और नियामकों के लिए इनकी सहायता करना आसान होता है। संकट की स्थिति में इनकी मदद आसानी से की जा सकती है। इसके अलावा, बड़े बैंक नकदी का बेहतर प्रबंधन भी कर सकते हैं। बैंकों के विलय से उनका सम्मिलित कारोबार काफी बढ़ जाता है जिससे उनका एनपीए कुल मिलाकर संभालने लायक हो जाता है। कमज़ोर बैंकों को मज़बूत बैंकों का साथ मिलाने से ग्राहकों के लिए फायदे का सौदा होता है। मज़बूत बैंक खाताधारकों के लिए लंबी अविध में जमा पर ज्यादा आकर्षक ब्याज दे सकते हैं और कर्ज की दरें भी कम कर सकते हैं।

मानव संसाधन, रोज़गार सृजन के लिहाज़ से भी यह फ़ैसला काफ़ी अहम हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना सरकार के लिये आज भी एक बड़ी चुनौती है। एकीकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्र में इनकी उपस्थिति में और भी इज़ाफा होगा।

निष्कर्ष

भारत के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्वरूप का ताना-बाना बड़े बैंक के अनुकूल है, क्योंकि बड़े बैंक ही इतने बड़े देश में समान रूप से बेहतर ग्राहक सुविधायें मुहैया करा सकते हैं। वैश्विक उपिस्थिति होने से बैंकों के ग्राहकों को देश व विदेश दोनों जगहों पर समान रूप से सेवा मिल सकेगी। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि परिचालन एवं दूसरे खर्चों में कटौती को सुनिश्चित करने से बड़े

बैंकों की लाभप्रदता में इज़ाफा होगा। पूँजी की उपलब्धता रहने से वे सस्ती दर पर ग्राहकों को कर्ज भी दे सकेंगे। पर्याप्त मानव संसाधन की मदद से एनपीए और जोखिम प्रबंधन के मोर्चे पर बड़े बैंक बेहतर काम कर सकेंगे, जिससे उनकी साख और लाभप्रदता दोनों में वृद्धि होगी।

मौजूदा समय में छोटे बैंक पूँजी की कमी के कारण न तो अंतररष्ट्रीय बैंकिंग मानकों को पूरा कर पा रहे हैं और न ही सस्ती दर पर ग्राहकों को कर्ज उपलब्ध करा पा रहे हैं। एनपीए और जोखिम प्रबंधन में भी वे फिसड्डी साबित हो रहे हैं। बेहतर तकनीक के अभाव में उनकी ग्राहक सेवा अच्छी नहीं है। ऐसे में विलय के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हर मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है।

बैंकों का विलय एवं मानव संसाधन

- डॉ. मनोज कुमार अम्बष्ट उप प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक वज़ीरगंज, जिला- गया (बिहार)

पहिली अप्रैल, 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक के विलय के उपरान्त 30 अगस्त, 2019 को वित्त मंत्री द्वारा छह राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय के प्रस्ताव की घोषणा से बैंकिंग जगत में हलचल पैदा हुई।

इसके पूर्व 01 अप्रैल, 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में उसके पाँच सहयोगी बैंकों एवं भारतीय महिला बैंक का विलय हुआ था। संप्रति, बैंकों के विलय में उनकी आर्थिक स्थिति तथा तुलनपत्र पर उनका प्रभाव, शेयर मूल्य, व्यवहृत तकनीक और मानव संसाधन मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कारक होते हैं,जिस पर सरकार विलय होने वाले और अधिग्रहण करने वाले बैंकों में उचित सामंजस्य करने का निदेश देती है। इसमें मानवों द्वारा ही कार्य के सम्पादन और सजीव कारक होने के कारण प्रतिरोध का स्वर और उसकी गूँज दूर तक सुनाई पड़ती है।

भारत में बैंकों का विलय एवं उसकी आवश्यकता

विलय या समामेलन दो या अधिक कंपनियों का एक कंपनी में संयोजन है जिसमें समर्थ कंपनी अपना अस्तित्व बनाये रखते हुए अन्य कंपनी का समावेश कर लेती है और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसके कई रूप और उद्देश्य होते हैं, जिसमें समेकन (दो या अधिक कंपनियों का एक नये उद्यम की स्थापना हेतु विलय) को छोड़कर शेष आर्थिक विवशता या अन्य प्रकार के दबाव के कारण होते हैं। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध से ही भारत में स्थापित आधुनिक बैंक, वित्तीय अनुशासन की कमी, पेशागत दक्षता का अभाव, अदूरदर्शिता जैसे कारणों से असफल या दिवालिया हो गये। इस असफलता से

निबटने हेत् कुछ बैंकों ने समामेलन का भी सहारा लिया। ओरियंटल बैंकिंग कॉर्पोरेशन (मूलतः स्थापित 25-05-1842 ई.) ने बैंक ऑफ सिलोन के व्यवसाय को 1849 ई. में अपने हाथों में ले लिया, पर बाद में इसका नियंत्रण भारतीयों से ब्रिटिश हाथों में चले जाने से उसका मुख्यालय लंदन चला गया। 30 नवम्बर, 1853 ई. को बम्बई में स्थापित द मर्केंटाइल बैंक ऑफ इंडिया, लंदन एण्ड चाइना का समेकन द चार्टर्ड बैंक ऑफ एशिया के साथ हुआ और 26 नवम्बर, 1857 ई. को यह द चार्टर्ड मर्केंटाइल बैंक ऑफ इंडिया, लंदन एण्ड चाइना बना। ओरियंटल बैंक तथा चार्टर्ड मकेंटाइल बैंक का श्रीलंका के बैंकिंग व्यवसाय पर आधिपत्य था। बैंक के दिवालिया होने की घटनायें भी आम थीं। यह तथ्य आश्चर्यजनक है कि भारत में सन् 1913 से 1948 के बीच 1,101 बैंक दिवालिया हो गये। (कमिंग फुल सर्कल, बिजनेस इंडिया, अगस्त 11-24, 1997, पृ. सं. 134) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के लागू होने के बाद बैंकों के दिवालिया होने की घटनाओं में अपेक्षाकृत कमी आयी।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 ए इ के अन्तर्गत बैंकों के द्वारा दिशा- निदेश के पालन में विफलता अथवा खाताधारकों के हित को नुकसान पहुँचाने के ढंग से चलाये जा रहे प्रबंधन से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार बैंकों का अधिग्रहण कर सकती है। धारा 36 ए एफ में यह भी कहा गया है कि केन्द्र सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से अधिग्रहित की गयी परिसंपतियों एवं देनदारियों को दूसरेकॉरपोरेशन को दे सकती है। धारा 37 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय

बैंकिंग कंपनी द्वारा कर्ज चुकाने में असमर्थता की स्थिति या भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त तत्संबंधी आवेदन के आधार पर संबंधित बैंकिंग कंपनी को समाप्त (वाइंडअप) का आदेश जारी कर सकता है। इसी अधिनियम की धारा 44 में बैंकिंग कंपनियों के समामेलन की प्रक्रिया वर्णित है। धारा 45 भारतीय रिज़र्व बैंक को अधिकार देती है कि वह बैंकिंग कंपनी के व्यवसाय को स्थगित करने और उसके समामेलन अथवा पुनर्गठन की योजना को तैयार करने की अनुशंसा केन्द्र सरकार को करे। राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में द बैंकिंग कम्पनीज (एक्विजिशन एण्ड ट्रान्सफर ऑफ अंडरटेकिंग्स), 1970 तथा 1980 के अन्तर्गत रिज़र्व बैंक के परामर्श से ऐसी योजना अथवा सदश नये बैंक (राष्ट्रीयकृत बैंक) को उपक्रम के अंतरण का अधिकार देती है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 35 के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक दूसरे स्टेट बैंक के व्यवसाय का अधिग्रहण कर सकता है ।

समेकन संबंधी रिपोर्ट

सन् 1991 ई. में नरसिंहम समिति की रिपोर्ट में भारत में त्रिस्तरीय बैंकिंग की अनुशंसा की गयी, जिसमें अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति वाले तीन विशाल बैंक, आठ से दस राष्ट्रीय बैंक एवं काफी संख्या में क्षेत्रीय एवं स्थानीय बैंकों के लिए की गयी थी। 23 अप्रैल,1998 ई. को जारी नरसिंहम समिति-II की रिपोर्ट में भी उपर्युक्त अनुशंसा को जारी रखा गया। श्री आर. एस. गुजराल की अध्यक्षता वाली समिति ने जनवरी 2012 ई. में सरकार को सौंपी गयी रिपोर्ट में सात बड़े बैंक बनाने की अनुशंसा की थी। तत्कालीन वित्त मंत्रीने भी इंद्रधनुष कार्यक्रम मे सार्वजनिक क्षेत्र के कमज़ोर बैंकों की मज़बूत बैंकों के साथ विलय की चर्चा की थी। वित्तीय स्थायित्व बोर्ड ने भी वैश्विक रूप से सुव्यवस्थित प्रभावशाली बैंकों (G-SIBs) हेत् बासेल-III की न्युनतम नियामक आवश्यकता (minimum regulatory requirement) के अतिरिक्त समग्र हानि अवशोषण क्षमता (total loss absorbing capacity) मानक की बात स्वीकार की है। उन्हें 1जनवरी,2019 ई. से प्रस्तावित समूह के

जोखिम भारित आस्तियों का न्यूनतम 16% तथा 1जनवरी,2022 ई. से 18% समग्र हानि अवशोषण क्षमता के रूप में रखना होगा। यह स्मरण रखना होगा कि इस समय भारत में कोई भी G-SIB नहीं है।

विलय/समामेलन की स्थिति में मानव संसाधन

प्रत्येक बैंक में कर्मचारियों और अधिकारियों के संगठन होते हैं। समामेलन अथवा विलय की स्थिति में सर्वाधिक विरोध अधिग्रहित होने वाले बैंक के कर्मचारी और अधिकारी ही अपने संगठनों के माध्यम से करते हैं। प्रत्येक बैंक के कर्मचारियों की सुविधाओं और प्रोन्नतियों से संबंधित आन्तरिक नीतियाँ होती हैं, जिसका हनन वे नहीं चाहते हैं। शायद 'जड़ता का सिद्धांत' भी अधिकांश लोगों पर लागू होता है।

सबसे बड़ा खतरा उन्हें अपनी पहचान खोने का होता है। यह पहचान बैंक के भीतर और बैंक के बाहर समाज की भी होती है। कुछ हद तक बिना किसी कारण के वे अपने को 'रनर' मानने लगते हैं। यहीं पर विरोध का बीज-वपन होता है। अपने संगठन के माध्यम से वे इसका पूर्ण विरोध करते हैं। कभी-कभी विरोध का कारण दोनों बैंकों में अलग-अलग यूनियन के वर्चस्व होने से भी होता है। कारण चाहे जो भी हो, विलय हो जाने के बाद कर्मचारी अनमने भाव से इसे स्वीकार करते हैं। नये वातावरण में नयी तकनीक और लेखा प्रक्रिया में वे अपने को असहज और दोयम दर्जे का महसूस करते हैं। शायद यह स्थिति अपना मकान बेचकर दूसरी जगह पर अपने नये फ्लैट में बसने जैसा होता है। वे व्यक्तिगत स्तर पर विलय से होने वाले हानि-लाभ का विश्लेषण भी करते हैं। धीरे-धीरे वे अपने को परिस्थितियों के अनुकूल ढालते हैं – काम सीखकर और और लोगों से मिलकर। इस अनुकूलन के उपरान्त संतोष की अवस्था आती है। और, अंत में नये माहौल में हृदय से रच बसकर उल्लास के साथ जुड़ जाते हैं तथा पुराने संगठन को भूलकर नये संगठन को अपना लेते हैं।

इस प्रकार, हम पाएंगे कि यह प्रक्रिया विरोध> अनमनापन> स्वीकार्यता> संतुष्टि> उल्लास के मार्ग से गुजरती है। जहाँ पर वरीयता खोने अथवा प्रोन्नति के अवसर में कमी की बात आती है, वे उसे पूर्णतः पचा नहीं पाते, फिर भी सामंजस्य स्थापित करके चलते हैं। नये संगठन में नये अनुभव और नये विचारों के समावेश से बेहतर प्रणाली लागू होने से कर्मचारियों का कार्य-जीवन ज्यादा सुगम और आनंदमय हो सकता है। पर, बड़े संगठन में किसी कर्मचारी के सफल होने और प्रतिभा निखरने के अनेक अवसर के बावजूद बहुमुखीप्रतिभासंपन्न कर्मचारियों की संख्या अधिक होने से ख्याति प्राप्त होने में प्रायः अधिक समय लगता है।

विलयोपरान्त बैंक कर्मचारियों की मेलजोल करने की क्षमता बढ़ेगी और वे बेहतर परिलब्धियों और सेवा शर्त पाने में समर्थ हो सकते हैं। विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों, सुविधाओं और मौद्रिक लाभ की विसंगतियों में कमी आयेगी। बैंक शाखाओं में वृद्धि से कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण में भौगोलिक दूरी को न्यून किया जा सकता है। बैंक अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास पर अधिक खर्च कर सकता है, जिसके दूरगामी सकारात्मक प्रभाव होंगे।

परिवर्तित वातावरण में कर्मचारियों को बृहद एक्सपोजर मिलने से नये अवसर भी मिलेंगे। अधिग्रहण से अधिकारियों की वरीयता में कमी आ सकती है और अति महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के लिए शीर्ष पद में कमी आयेगी। बैंकों की संख्या में कमी के कारण निदेशक मंडल में हुई कमी से उस पर होने वाले खर्च में भी कमी आयेगी। इसी तरह, बैंकों में भिन्न कर्मचारी संघ रहने की स्थिति में विलय के बाद उनके सदस्यों और नेतृत्व में तालमेल की आवश्यकता होगी, अन्यथा प्रतिद्वंद्विता से सौहार्द्रपूर्ण वातावरण और मेलजोल की क्षमता में कमी आयेगी।

कुछ बैंकों में कभी-कभी विलय के पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना भी लागू की जाती है ताकि कुछ असंतुष्ट, उम्रदराज़ अथवा नये-नये बैंक में स्थानांतरण से भयाक्रांत कर्मचारी अपना विकल्प ढूँढ लें और नये बैंक में बिना किसी पूर्वाग्रह के कार्य कर सकें। अधिग्रहण करने वाले बैंक के कर्मचारियों को भी चाहिए कि वे इन्हें निम्न न आँकें और खुले हृदय से

उनका स्वागत करें ताकि वे अपने को असहज न महसूस करें और नये संगठन को अपनी क्षमता का भरपूर लाभ दे सकें।

बैंकों के विलयोपरांत परिचालन लागत में कमी और शाखाओं तथा कार्यालयों को युक्तिपूर्ण बनाने हेतु कुछ शाखाओं और कार्यालयों को बंद भी किया जाता है। सन् 1969 में राष्ट्रीयकरण के उपरान्त सन 1990 तक बैंकों की शाखाओं में तेज़ी से वृद्धि हुई और उसी अनुरूप नियुक्तियाँ भी हुईं। फिर नियुक्तियों में कमी आयी और लगभग रोक ही लग गयी।

पुनः सन् 2008 से शाखाओं में विस्तार के साथ नियुक्तियाँ हुई, पर कंप्यूटरीकरण के कारण उनका अनुपात कम रहा। उदाहरणार्थ 31मार्च, 1998 को भारतीय स्टेट बैंक के 8925 कार्यालयों के लिए 237000 कर्मचारी थे, जबिक सन् 2018 में 24000 कार्यालयों के लिए 264000 कर्मचारी। सन् 1987 तक बैंक में नियुक्त कुछ कर्मचारी अब सेवानिवृति के कगार पर हैं। इस प्रकार, अगले पाँच वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या काफी बढ़ जायेगी। तब तक नये लोग भी महत्वपूर्ण पदों को संभालने के लिए अनुभवी हो जायेंगे।

वैधानिक स्थिति

बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 45,उपधारा 5(आइ) विलय के उपरान्त औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अधीन श्रमिक (वर्कमेन) की श्रेणी में न आनेवाले को छोड़कर बैंकिंग कंपनी के सभी कर्मचारियों की सेवाओं को उसी सेवा शर्तों एवं परिलब्धियों पर जारी रखने की बात कहता है। यह शर्त तीन वर्षों तक ही मान्य है। अर्हता और अनुभव संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद में भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा। इसी अधिनियम की धारा 45, उपधारा(जे) के अनुसार विलय होने वाले बैंक का कोई भी कर्मचारी केन्द्र सरकार की स्वीकृति के बाद एक माह बीतने से पूर्व नई बैंकिंग कंपनी अथवा पुनर्गठित कंपनी में नहीं रहने की लिखित इच्छा व्यक्त कर औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अन्तर्गत देय पेंशन, उपादान, भविष्य निधि एवं

अन्य सेवोपरांत लाभ लेकर उस कंपनी का कर्मचारी नहीं रह जाता है।

अंततः

भारत की मज़बूत होती अर्थव्यवस्था एवं बैंकों की प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति हेतु बैंकों को भी मज़बूत होना होगा और विलय तथा समेकन इसके सहज उपाय हैं। सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के विलय के उपरान्त ही भारतीय स्टेट बैंक की गणना विश्व के शीर्ष पचास बैंकों में होने लगी है। अतएव कर्मचारियों को विलय का कटु सत्य स्वीकार करना होगा। पुनर्गठित होने वाले बैंक के कर्मचारी अपने भविष्य के प्रति फीके अथवा उदास दृष्टिकोण के साथ सामान्यतः निम्न मनोबल के साथ होंगे। ऐसे कर्मचारियों को लेकर त्वरित परिवर्तन की कोई भी योजना बनाना मुश्किल है। अतः प्रबंधन को पहले ऐसे कर्मचारियों के मानस में यह विश्वास भरना होगा कि उनका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। विलय तथा समेकन हेतु बनने वाली नीति में कर्मचारियों के हितों की पूर्ण रक्षा होनी चाहिए, ताकि नये वातावरण में वे अपने को ठगा या उपेक्षित न महसूस करें। अन्यथा इसका प्रभाव उनकी दक्षता और ग्राहक सेवा पर भी पड़ सकता है। एक संतुष्ट कर्मचारी बैंक के प्रति ग्राहकों की निष्ठा बनाये रखने में भी सहायक सिद्ध होगा। अतएव, विलय या समेकन की स्थिति में कर्मचारियों के विरोध से उनके उल्लास तक मानव संसाधन विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए।

बैंकिंग जगत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उभरती तकनीकें

- नौशाबा हसन

मुख्य प्रबंधक एवं संकाय ज्ञानार्जन एवं विकास संस्थान भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर

"आ टिंफिसियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता देश में व्यवसाय करने के तौर-तरीकों को निरंतर बदलती जा रही है। देश के सामाजिक और समावेशी भलाई के लिए नवाचारों में विशिष्ट रूप से ए.आई. का उपयोग किया जा रहा है। हमारा देश नागरिकों के लिए अभिनव शासन प्रणाली विकसित करने और देश की समग्र आर्थिक उत्पादकता में सुधार लाने के लिए मशीनी ज्ञान और ए.आई. जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों को स्वीकार करने लगा है, जिससे तकनीकी रूप से सशक्त नये भारत के महान दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिल रही है।"

नीति आयोग के सी ई ओ श्री अमिताभ कांत का उपरोक्त कथन हमारे देश में कृत्रिम बृद्धिमत्ता की विभिन्न तकनीकों के बढ़ते प्रचार-प्रसार को बिलकुल सटीक रूप से प्रस्तुत करता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने एक 7-सूत्रीय रणनीति तैयार की है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वृहद पैमाने पर उपयोग करने के लिये भारत की सामरिक योजना का आधार तैयार करना प्रारंभ कर चुकी है। भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने भी वर्ष 2018-19 के बजट में उल्लेख किया था कि नीति आयोग जल्दी ही राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम (N.A.I.P.) की रूपरेखा तैयार करेगा। भारत सरकार ने 'फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट अप' के लिये 480 मिलियन डॉलर का भी प्रावधान किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स', 3-D प्रिंटिंग और ब्लॉकचेन आदि को बढ़ावा देने का कार्य किया जायेगा और इस दिशा में शोध और अनुसंधान की गति को भी तेज किया जाएगा।

अब सवाल यह है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ए.आई. क्या है? वैश्विक स्तर पर इसका बैंकिंग क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है और इसकी उभरती तकनीकें बैंकिंग को किस दिशा की ओर ले कर जा रही हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना है: आर्टिफिशियल- जिसका मतलब होता है ऐसी वस्तु जो प्राकृतिक नहीं है, अर्थात जिसे मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया है; तथा इंटेलिजेंस- जिसका तात्पर्य है सोचने, समझने एवं सीखने की योग्यता।

जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमता का जनक माना जाता है, जिन्होंने अपने साथी मार्विन मिन्स्की. हर्बर्ट साइमन और एलेन नेवेल के साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े अनुसंधान किये। जॉन मैकार्थी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द (ए.आई.) की खोज साल 1955 में की थी। मैकार्थी ने कहा कि ए.आई. कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का वह विज्ञान और अभियांत्रिकी है. जिसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि मानव मस्तिष्क किसी समस्या को हल करते समय कैसे सोचता है, सीखता है औरनिर्णय लेता है। ए.आई. के साथ ही ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में भी अक्सर चर्चा होती है। यह टेस्ट एलन ट्यूरिंग द्वारा वर्ष 1950 में विकसित किया गया था। यह टेस्ट इस बात का परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि क्या कोई मशीन मानव के समान बुद्धिमतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर सकती है।

कालांतर में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस मशीनों ने हमारे काम करने के अनेकों तौर-तरीकों में उल्लेखनीय बदलाव किए। वैज्ञानिक "General Purpose Technology (जी.पी.ए.)" शब्दों का प्रयोग ऐसे प्रयोजनों के लिए करते हैं जो उद्योगों एवं रोजमर्रा के जीवन में समान रूप से क्रांति ला सकते हैं। हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल ने कृत्रिम बुद्धिमता को आधुनिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण जी.पी.ए. के रूप में नामित किया है। ए.आई. एक प्रौद्योगिकी ही नहीं है, अपित यह अनेक बहुआयामी एवं अंतर्निहित तकनीकों जैसे ह्यूमेनॉईड (रोबोट्स), नैचरल लैंगुएज प्रोसेसिंग (मशीन द्वारा इंसानी भाषा का विश्लेषण). रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (दोहराए जाने वाले कार्यों का स्वचालन) और चैटबोट (संवाद करने वाले रोबोट) एवं मशीन एवं डीप लर्निंग (मशीनों का विभिन्न अनुभवों के आधार पर स्वयं सीखना) का एक समूहन है। मशीन लर्निंग के जरिए कंप्यूटर को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वे उपलब्ध डाटा के आधार पर अपने कार्य कर सकें. ऐसा करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। एल्गोरिदम के जरिए कंप्यूटर डेटा को समझता है, फिर उसके आधार पर निर्णय लेता है। सर्वप्रथम वैज्ञानिक आर्थर शमुएल ने वर्ष 1956 में मशीन लर्निंग का भविष्य देखा था।



जापान ने ए.आई. क्षेत्र में वर्ष 1981 में उल्लेखनीय पहल कर 'फिफ्थ जनरेशन प्रोजेक्ट' अर्थात सुपर कंप्यूटर के विकास की परियोजना बनाई थी। इसके बाद अन्य देशों ने भी ए. आई. के महत्व को समझते हुए अपनी नीतियां बनानी प्रारंभ कर दीं। जैसे-जैसे विभिन्न देशों ने ए. आई. के विविध स्वरूपों को अपनाना प्रारंभ किया, वैसे-वैसे इसके नवोन्मेषी तकनीक से लैस नए-नए प्रयागों के अनेक द्वार भी खुलते चले गए, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव छोड़े। ज़ाहिर है कि ए. आई. की नवोन्मेषी बयार से बैंकिंग क्षेत्र भी अब अछूता नहीं रह गया है

और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग बैंकिंग सेवाओं में भी तेज़ी से फैलता जा रहा है।

आज भारतीय बैंकिंग पटल में ए. आई. दक्ष अनेक उत्पाद देखने को मिल रहे हैं, जैसे- SBI-SIA 'वॉयस-बॉट'- जिससे निरक्षर एवं हिन्दी/अंग्रेज़ी न जानने वाले व्यक्ति भी अपनी भाषा में बैंकिंग समाधान प्राप्त कर सकते हैं। एस.बी.आई. SIA (वर्चुअल असिस्टेंट) में प्रतिदिन 850 मिलियन प्रश्नों का जवाब देने की क्षमता है, जो इसे विश्व के सबसे बड़े ए.आई. सॉल्यूशंस में से एक बनाता है। वहीं 'रोबो-एडवाइज़र्स' स्वचालित निवेश के विकल्प हैं। आई. सी. आई. सी. आई. आर. पी. ए., 'साफ्टवेयर रोबोटिक्स प्लेटफार्म' एवं चैटबोटस आदि भी इसके उदाहरण हैं।

वर्ष 2016 में कुंभकोणम सिटी स्थित यूनियन बैंक के "लक्ष्मी" नामक बैंकिंग रोबोट के लॉन्च के साथ ही भारतीय बैंकिंग पटल पर ह्यूमेनॉईड रोबोट्स का भी पदार्पण हो गया है। आज भारत ही नहीं वरन विश्व के हर कोने में विभिन्न बैंकों द्वारा ए. आई. समाधानों को बढ़-चढ़कर अंगीकार किया जा रहा है क्योंकि ए. आई. की विभिन्न प्रक्रियाओं एवं सेवाओं में बहुत से लाभ निहित हैं। बैंकिंग व्यवसाय में ए. आई. के कई फायदे हैं, जैसे- सटीकता, उच्च-प्रक्रिया दक्षता, जोखिम-प्रबंधन, मानव त्रुटि में कमी, लागत में कटौती, लाभप्रदता, स्केलेबिलिटी आदि, जिनके कारण आज ए.आई. का विभिन्न बैंकिंग कार्यों में प्रयोग किया जा रहा है।



बैंकिंग में ए.आई. के इन अनुप्रयोगों से अनेक भविष्योन्मुखी परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिसमें उल्लेखनीय हैं:

- 1. कैपजेमिनी द्वारा वर्ष 2019 में कराए गए एक शोध के अनुसार एक रोबोट लगभग पांच मनुष्यों के बराबर काम करने में सक्षम होता है, वह भी बिना किसी थकावट या त्रुटि के। ए.आई-स्वचालन बैंकों के संसाधनों को मक्त कर रहे हैं. जिससे बैंक अपने स्टाफ-सदस्यों को विपणन, फील्ड-वर्क आदि कार्यों में लगा रहे हैं। चाईना कन्स्ट्रक्शन बैंक ने एक 'नो ह्यमेंस. रोबोट ओनली शाखा' खोली है, जहाँ "लिटिल डैगन" ह्यमेनोइड बैंकिंग काम-काज सँभालते के.पी.एम.जी. के नवोन्मेष 'इनविज़िबल बैंक' में "प्रबुद्ध आभासी सहायक" ग्राहक-संपर्क के सभी बिंदुओं पर मनुष्यों को प्रतिस्थापित करने जा रहा है। अमेरिका के वैल्स फ़ार्गों ने फेसबुक मैसेंजर प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना एक आभासी सहायक अर्थात चैटबॉट लॉन्च किया है. जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उपयोगकर्ताओं को उनके खातों की जानकारी प्रदान करने के अलावा. पासवर्ड रीसेट करने जैसे कई अन्य कार्यों में भी मदद करता है।
- 2. विदेश में स्टर्लिंग जैसे अनेक चैलेंजेर्स बैंक प्रचालन में आ चुके हैं। ये 'ऑनलाइन ऑपरेशन्स ओनली' वाले बैंक हैं जिनके संचालन में परंपरागत बैंकों की जटिलताओं से बचा जा सकता है। ये ए. आई. दक्ष बैंक 'डिजिटल ओनली' ग्राहकों की उस पीढ़ी को आगे ला रहे हैं जो बैंकिंग करने हेतु बैंकों में जाना पसंद नहीं करते हैं।
- 3. 'पीयर-टू-पीयर लेंडिंग' एवं TReDS जैसे ए. आई. इनेबल्ड मॉडल, ऋण वित्तपोषण में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। ए. आई. के प्रयोग से 'लोन अप्रेज़ल' के 'टर्न-अराउंड टाइम' में भारी कमी आ रही है। जेपी मॉर्गन चेज़ का कॉन्ट्रेक्ट इंटेलिजेंस (COiN) बॉटस का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। कॉन्ट्रेक्ट इंटेलिजेंस (COiN) प्लेटफॉर्म को "कानूनी दस्तावेजों का विश्लेषण करने और महत्वपूर्ण डेटा बिंदुओं को निकालने" के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रतिवर्ष करीब 12,000 वार्षिक वाणिज्यिक क्रेडिट समझौतों की मैन्युअल समीक्षा के लिए लगभग 3,60,000 घंटे या 173 साल लगते हैं, जबिक COiN इस काम को चंद सेकेण्ड के अंदर ही करने में सक्षम है।

ऐसी शक्तिशाली विश्लेषणात्मक तकनीक का प्रभाव आने वाले दिनों में और उभर कर सामने आएगा जिसके चलते समय और लागत दोनों की आशातीत रूप से बचत की जा सकेगी।

- 4. ए. आई. से कर्मचारियों के ज्ञान-कौशल अंतर को प्रभावी ढंग से पाटा जा रहा है। आभासी सहायक तकनीक में 'नैचुरल लैंग्वेज इंटरफेस' की सहायता से कर्मचारी सेवा डेस्क के अनुरोधों का त्वरित जवाब दिया जाता है।
- 5. स्टीव जॉब के अनुसार 'ग्राहक तब तक यह नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, जब तक आप उन्हें उनकी आवश्यकताओं का एहसास नहीं दिलाते'। ए. आई. एनेलिटिक्स की सहायता से बैंक ग्राहकों के मांगने से पहले ही उन्हें 'प्री-अप्रूव्ड लोन' की सुविधा दे रहे हैं। इन ऋणों में न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप और दस्तावेजों के सिर्फ सहमति बटन पर क्लिक और डिजिटल कंफर्मेशन शामिल होते हैं। विभिन्न ए. आई. दक्ष मोबाईल एप्स के चलते क्रॉस-सेलिंग एवं अपसेलिंग के साथ-साथ वित्तीय समावेशन में भी तकनीकी उन्नयन देखने को मिल रहा है।
- 6. बैंकिंग में फिनटैक कम्पनियों और सोशल मीडिया का जाल तेज़ी से फैलता जा रहा है। यू.बी.एस. और इंडसइंड बैंकों के पास बैंकिंग सहायता हेतु अमेज़न डिजिटल सहायक अलेक्सा मौजूद है तो सिटी ग्रुप फेसबुक मैसेंजर चैटबोट का प्रयोग कर रहा है। 'रिलेशनशिप बैंकिंग' को सही मायनों में साकार करते हुए विभिन्न बैंक, सोशल मीडिया और ए. आई. के सहमेल से अपने ग्राहकों को आयकर एवं अन्य टैक्स विवरणियां दाखिल करने में मदद के अलावा, बिल मैनेजमेंट जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं।
- 7. बैंकों और फिनटेक के गठजोड़ से मुक्त नवाचार को बढ़ावा मिला है। तीसरे पक्ष के डेवलपर्स, 'ओपन बैंकिंग' के तहत एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (A.P.I.) से नवोन्मेषी सेवाओं का सृजन कर रहे हैं। जर्मनी के फिडोर बैंक ने ए.पी.आई. के ज़रिये 'Fidor-OS3 मिडिलवेयर' तैयार किया है जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़कर चौबीस घंटे इमरजेंसी लोन जैसे उत्पाद उपलब्ध कराता है।



8. यह देखा गया है कि विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ियों को अंजाम देने वाले साईबर अपराधी नित नए तरीके अपना रहे हैं। तेज़ी से बदलते छल-कपट के इन नए तरीकों को पकड़ने में ए. आई. अत्यंत कारगर सिद्ध हो रहा है।

धोखाधड़ी प्रबंधन हेतु विभिन्न बैंक कई फिनटेक कंपनियों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। उदाहरणार्थ बार्कलेज बैंक ने ए. आई. कंपनी सिम्यूडाइन टेक्नोलॉजी से अनुबंध कर विभिन्न धोखाधड़ी प्रबंधन मॉडलों का विकास किया है। इन मॉडलों में बैंकिंग में मानवीय त्रुटियों के लिए उत्तरदायी विभिन्न परिस्थितियों का 'सिमुलेशन' करके उन्हें नियंत्रित करने एवं जोखिम प्रबंधन के विभिन्न तौर-तरीके काम में लाये जाते हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी प्रबंधन में ए. आई. का उद्भव FICO फाल्कन धोखाधड़ी मूल्यांकन प्रणाली से हुआ, जो सम्प्रति एकल-आयामी मानवीय कौशल से होते हुए बहु-आयामी मशीन एवं डीप-लर्निंग के रूप में परिष्कृत हो गई है।

9. ब्रिटेन के आर.बी.एस. एवं नेटवेस्ट जैसे बैंक सोल-मशीन्स कम्पनी की सहायता से कोरा डिजिटल मानव के निर्माण में जुट गए हैं। सोल-मशीन्स इन डिजिटल मानवों के निर्माण हेतु मानव मस्तिष्क से प्रेरित एक ऐसा आभासी तंत्रिका तंत्र बनाती हैं, जिनकी सहायता से मशीनें ग्राहकों के चेहरे की अभिव्यक्तियों का विश्लेषण कर उनके मनोभावों का पता लगाती हैं और तदानुसार, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं भविष्य की डगर


शेष विश्व की तुलना में भारत की जनसंख्या निरंतर युवा होने के संकेत दे रही है। वर्ष 2020 में जहाँ अमेरिका में औसत आयु 45 वर्ष और चीन में 37 वर्ष रहेगी, वहीं यह भारत में मात्र 29 वर्ष ही होगी। ग्लोबल कंस्यूमर स्टडी के अनुसार 40% से 50% युवा मिलिनेयिल जैन ज़ैड और वाई ग्राहक, बैंकिंग हेतु GAFA यानी गूगल, एप्पल, फेसबुक तथा अमेज़न- को पारंपरिक बैंकों से बेहतर आंकते हुए, उन्हें बैंकिंग साधन के तौर पर अपनाना चाहते हैं। संभव है कि भविष्य में लोग फेसबुक पर बैंक खाता खोलें एवं अमेज़न से ऋण/बीमा आदि प्राप्त करें। अमेज़न-एलेक्सा या गूगल-असिस्टेंट हमारे आस-पास के सभी उपकरणों, यहाँ तक कि हमारे शरीर को भी इंटरनेट से जोड़ने की क्षमता रखते हैं। भविष्य में इनके माध्यम से ग्राहक सीधे बैंकों से सम्पर्क कर सकेंगे।

हाल ही में स्पेनिश बैंक कॉएक्सा ने Apple के साथ गठजोड़ कर iPhone X से खाता संचालन करने की सुविधा प्रारंभ की है, भविष्य में यह तकनीक लोअर-एंड हेंडसेट्स के जिरये और अधिक लोकप्रियता हासिल करेगी। बैंकों के कॉल-सेंटर/ कांटेक्ट-सेंटर में मनुष्यों की जगह सिर्फ रोबोट्स ही नज़र आयेंगे। एक्सेंचर द्वारा वर्ष 2018 में जारी "बैंकिंग टेक्नोलॉजी विज़न: बिल्डिंग फ्यूचर-रेडी बैंक" रिपोर्ट में माना गया है कि भविष्य में रोबोट्स ही 'फेस ऑफ दि ऑरगेनाईज़ेशन्स' होंगे तथा बैंकिंग कार्यस्थल में

कोलेबोरेटिव रोबोट (कोबोट्स) का उद्भव होगा जो मनुष्यों के साथ बराबरी से कार्य करते हुए ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग अनुभव दे सकेंगे।

साइबर अपराधी धोखाधड़ी के अपने तरीकों को निरंतर बदलते रहते हैं। यही कारण है कि अब डाटा वैज्ञानिक अल्गोरिथ्मिक पैटर्न के अनुसार लोगों के सोचने के तरीकों का पता लगाने की नई तकनीक का प्रयोग बैंकिंग में करने जा रहे हैं। इसे Convolutional Neural Network की संज्ञा दी गई है। धोखाधड़ी-प्रबंधन और मनी-लॉन्ड्रिंग में 'कॉम्प्लेक्स इमेज एवं साउंड रिकग्नीशन' से चेहरे/आवाज़ की पहचानकर ऐसे धोखेबाजों व अपराधियों (जिनके रिकार्ड पहले से ही सिस्टम में मौजूद होंगे) को चिह्नित कर बैंकिंग लेन-देन में

प्रौद्योगिकी एवं वास्तविक दुनिया का डिजिटल एकीकरण (फिजिटल) किया जा सकेगा, जिससे ग्राहक और बैंक के बीच की दूरी निरंतर कम होती जाएंगी। कई बैंक इस दिशा में काम भी प्रारंभ चुके हैं, जैसे-दिक्षण कोरिया का हाना बैंक, जो औग्मेंटेड रिएल्टी (A.R) के माध्यम से ग्राहकों को प्रॉपर्टी का वर्चुअल टूर एवं इंस्टेंट मॉर्टगेज जैसी सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। यदि कोई बैंक उपभोक्ता के जीवन का केन्द्र-बिंदु होना चाहता है, तो उसे उपभोक्ता की सभी वित्तीय-आवश्यकताओं जैसे- ई-कॉमर्स, पर्यटन, टैक्स, लाईफ स्टाइल गतिविधियों इत्यादि को वित्तीय अंतर्दृष्टि से देखना चाहिए। भविष्य में, बैंक इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विकेंद्रीकृत एवं एकीकृत बाजार मंच बनकर उभरेंगे, जहाँ ए.आई. सॉल्यूशंस



विशेष निगरानी रखी जा सकेगी। इस बारे में एच.एस.बी.सी. द्वारा स्थापित 'क्वानटेक्सा' से ली गई ए. आई. तकनीक उल्लेखनीय है, जिसके अनुप्रयोग से यह बैंक उपलब्ध आंकड़ों एवं ट्रांजेक्शनल डाटा की सहायता से संभावित मनी-लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों पर दक्षतापूर्वक लगाम लगा रहा है। भविष्य में 'कोगनिटिव एनेलिसिस' के प्रयोग से बैंकिंग में धोखाधड़ी की संभावनाओं का सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा (इसी तकनीक का प्रयोग कर Paypal ने अपने सभी सिस्टम लगभग फ्रॉड-प्रूफ कर लिए हैं और गत वर्ष कुल आय का मात्र 0.32% ही फ्रॉड-लॉस के रूप में दर्शीया है)।

बैंक वर्चुअल रिएल्टी (V.R.), औग्मेंटेड रिएल्टी (A.R.), मिक्स्ड रिएल्टी (M.R.) एवं एक्सटेंडेड रिएल्टी (E.R.) जैसी ए. आई. तकनीकों का बढ़-चढ़कर प्रयोग करने में लगे हैं। इन तकनीकों से की सहायता से ग्राहकों को विविध सेवाएं उपलब्ध करवाकर सही मायने में यूनिवर्सल बैंकिंग की जा सकेगी। प्रत्येक ग्राहक के व्यक्तिगत लेन-देन के इतिहास के आधार पर, उसे अपेक्षित 'टेलर-मेड बैंकिंग' समाधान/सेवाएँ उपलब्ध करवा पाना भी सम्भव हो सकेगा।

Google Intelligence द्वारा वर्ष 2018 में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में लगभग 1.9 बिलियन ग्राहक वर्ष 2021 तक बायोमेट्रिक पहचान के किसी न किसी रूप का उपयोग बैंकिंग लेन-देन में करेंगे। ग्राहकों की बायोमेट्रिक पहचान शारीरिक प्रमाणीकरण के अलावा, व्यवहारात्मक प्रमाणीकरण से भी संभव हो सकेगी, जैसे- टाईपिंग पैटर्न, वाक्य को कहने का लहज़ा आदि। ब्रिटेन-बेस्ड हैलिफ़ैक्स बैंक ने इस दिशा में 'ब्लूट्थ रिस्टबैंड' के साथ प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है, जिसमें ट्रांजेक्शन को प्रमाणित

करने के लिए ग्राहक के हृदय की धड़कन से उसकी पहचान सुनिश्चित की जायेगी।


इस संदर्भ में कुछ अनुमानों को देखना भी रोचक होगा! प्रसिद्ध फर्म गार्टनर के वर्ष 2018 के शोध के अनुसार, ए.आई. की बदौलत वर्ष 2025 तक विश्व भर के लगभग 95% लेन-देन मानव मध्यस्थता के बगैर ही कार्यान्वित होंगे। ऑटोनोमस नेक्स्ट द्वारा वर्ष 2019 में जारी आंकड़ों में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक बैंकिंग समेत अन्य वित्तीय संस्थाएं ए.आई. की सहायता से अपने खर्चों में लगभग 22% तक कटौती कर सकेंगी। फ्रंट ऑफिस के खर्चों में लगभग \$490 बिलियन. मिडिल ऑफिस में लगभग \$350 बिलियन एवं बैक ऑफिस में लगभग \$200 बिलियन की सालाना बचत की जा सकेगी। KPMG द्वारा वर्ष 2019 में जारी एक अध्ययन में बताया गया है कि ए.आई. में सालाना निवेश, जो वर्तमान में मात्र \$12.4 बिलियन ही है. वर्ष 2025 तक \$230 बिलियन को पार कर जायेगा।

बैंक नए-नए तरीकों से इस क्षेत्र में भारी निवेश करेंगे, जिसके कुछ रुझान अभी भी देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, बैंक ऑफ कनाड़ा ने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के साथ मिलकर अपना एक ए.आई. रिसर्च लैब स्थापित किया है। सिटी वेंचर्स ने सॉफ्टवेयर कंपनी एनाकोंड़ा में एवं गोल्डमैन-सैक ने केंशो स्टार्ट-अप में निवेश किया है। बैंक इसके लिए मोटा बजट भी निर्धारित करेंगे (उदाहरण के लिए-जे.पी.मॉर्गन चेज़ का \$10.8 बिलियन का सालाना ए.आई. बजट है)। कतिपय भारतीय बैंकों ने भी इस ओर पहल प्रारंभ की है, उदाहरण के लिए-एस.बी.आई. ने वर्ष 2017 में आई.टी. डेवलपर्स स्टार्टअप की सहायता से ए.आई. के विकास हेतु 'कोड हैकाथॉन' आयोजित किया था। यद्यपि भारतीय बैंक

इस दिशा में अभी बहुत पीछे हैं तथापि भविष्य में इसमें निश्चित रूप से गति आयेगी। हालांकि बैंकिंग में ए.आई. की भावी मांग एवं आपूर्ति कई कारकों पर निर्भर करेंगे।

ए.आई. के कुछ संभावित नकारात्मक पहलू

- 1. ए.आई. को लेकर विशेषज्ञ 'टेक्नोलॉजिकल सिंगुलरिटी' यानी तकनीकी एकलता की बात करते हैं, अर्थात भविष्य में ऐसी ए.आई. मशीनें बनेंगी जो मनुष्य के मस्तिष्क से अधिक बुद्धिमान होंगी। अनुमानतः, वर्ष 2045 तक मशीनें इतनी तेज़ / सक्षम हो जायेंगी कि मानव विकास का पथ हमेशा के लिये बदल जाएगा! शायद इसीलिये बिल गेट्स एवं एलन मस्क ए.आई. को मानव सभ्यता के लिए बड़ा खतरा मानते हैं। रोबोट सॉफ्टवेयर इंटरनेट स्पाइडर के समान डीप बैकग्राउंड में चल सकते है। सरकार द्वारा गठित श्रीकृष्ण समिति का मानना है कि ए.आई. और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों को विनियमित करने में मुश्किल यह है कि ये प्रौद्योगिकियां पारंपरिक गोपनीयता के ढांचे के बाहर काम कर सकती हैं. जिसके चलते भविष्य में इन्हें विनियमित करना एक पेचीदा कार्य होगा।
- 2. ए.आई. ने जहां एक ओर सुगमता बढ़ाई है वहीं, इसकी वजह से मानव बल में छटनी की आशंकाएं भी उभरने लगी हैं। उदाहरण के लिए, जापानी मिझोहू फाइनेंशियल ग्रुप ने घोषणा की है कि वे वर्ष 2027 तक अपने एक-तिहाई अर्थात लगभग 19,000 कर्मचारियों को ए.आई. से विस्थापित कर देंगे। हालांकि, एक्सेंचर ने परस्पर-विरोधी मत प्रकट करते हुए यह भी कहा है कि सिर्फ छंटनी हो, यह आवश्यक नहीं। वर्ष 2022 तक ए.आई. डेवेलपर्स, सिक्यूरिटी-एक्सपर्ट, एन.एल.पी. साइंटिस्ट जैसे नए कोर-स्किल्स



के चलते नौकरियों की संख्या में लगभग 14% का उछाल भी आयेगा, जिसमें विशेषज्ञों की मांग बढ़ेगी। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर हारुहिको कुरोदा ने सही ही कहा है कि "ए.आई. के अनुकूलतम उपयोग हेतु आवश्यक है कि मनुष्य एवं ए.आई. एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करें। जहाँ व्यावहारिक बुद्धिमता एवं मानवीय संवेदनाओं की आवश्यकता हो, वहाँ मनुष्य स्थान लें तथा जहाँ तकनीकी दक्षता की आवश्यकता हो, वहाँ ए.आई. आगे आएं"।

निष्कर्ष

अतीत में, सुदृढ़ बैंकिंग संस्थाएं मानक उत्पाद एवं सेवाओं और मानवीय कौशल आदि पर आधारित होती थीं। लेकिन भविष्य में ऐसे बैंक मज़बूत माने जायेंगे जो विशाल डेटा का सटीक उपयोग, डिजिटल तकनीकों का अनुकूलन और प्रौद्योगिकी द्वारा संवर्धित कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों का इष्टतम संचालन सुनिश्चित कर सकेंगे। आज विश्व के लगभग सभी बैंकों के पास अपने ग्राहकों की विस्तृत जनसांख्यिकी, वेबसाइट एनालिटिक्स और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन लेनदेन के रिकॉर्ड सहित विशाल डाटाबेस उपलब्ध हैं. जिसे 'गोल्ड-माइन' की संज्ञा भी दी जाती है। ए.आई. की विभिन्न उभरती तकनीकों की सहायता से बैंक, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं का 360 डिग्री विश्लेषण के आधार पर आकलन कर. ग्राहकों द्वारा चाहे गए उत्पाद और सेवाओं को उपलब्ध करा पाने में सक्षम हो चुके हैं। बैंकों में ए. आई. की तेज़ी से उभरती तकनीकों की परिपक्वता को देखते हुए लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब प्रत्येक ग्राहक के व्यक्तिगत लेनदेन के इतिहास के आधार पर उसे सम्चित एवं अपेक्षित बैंकिंग समाधान/सेवाएँ उनके मांगने से पहले ही 'बैक-एंड' से उपलब्ध करा पाना सम्भव हो सकेगा। बैंकिंग जगत आज 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंदोलन' के द्वार पर खड़ा है. जिसमें भविष्य की अनगिनत संभावनाएं छिपी हैं!

चुनिंदा संदर्भ:

Artificial Intelligence in Banking & Finance: How AI is Impacting the Dynamics of Financial Services by Raj Singh.

कैपजेमिनी, एक्सेंचर, भारतीय रिज़र्व बैंक, इकोनॉमिक टाईम्स, विकीपीडिया, ऑटोनोमस नेक्स्ट आदि की वेबसाईट। गूगल द्वारा रिडाईरेक्टेड अन्य साईट आदि।

स्वदेशी भुगतान प्रणाली का आधार : भारत का अपना 'रुपे कार्ड'

- कुलदीप सिंह भाटी

वरिष्ठ सहायक, भारतीय स्टेट बैंक खाण्डा फलसा, जोधपुर

मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जहां कुछ की पूर्ति स्वयं कर लेता है, तो कुछ के लिए वह अन्य पर निर्भर रहता है। इसी परस्पर अंतर्निर्भरता के कारण व्यापार और व्यवसाय की प्रवृत्ति ने जन्म लिया। व्यापार या व्यवसाय में आवश्यकता पूर्ति के बदले भुगतान के रूप में विनिमय यानी लेन-देन प्रणाली की शुरुआत हुई। यह भुगतान की प्रणाली आज भी व्यवसाय और व्यापार का आधार है। समय और देशकाल की परिस्थितियों के अनुरूप विनिमय का व्याकरण और भुगतान का भूगोल बदलता रहा। जहां कभी पहले वस्तुओं का विनिमय होता था तो कभी स्वर्ण, रजत जैसी मुल्यवान वस्तुओं से भुगतान विनिमय प्रणाली संचालित होती थी, वहीं बाद में धात के सिक्के प्रचलित हुए तो कालांतर में कागजी मुद्रा अस्तित्व में आई। आज यही कागजी मुद्रा तकनीक और प्रौद्योगिकी उन्नयन के कारण डिजिटल मुद्रा में प्रतिष्ठापित हो गई। यद्यपि कागजी मुद्रा आज भी प्रचलित है किन्तु यह निश्चित है कि भविष्य में कागजी मुद्रा का समय नहीं रहेगा क्योंकि अब डिजिटल मुद्रा को भुगतान प्रणाली के रूप में सरकार और अमेजन इत्यादि के द्वारा वृहद स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है।

डिजिटल भुगतान प्रणाली के अंतर्गत प्रयोग के लिए सर्वप्रथम प्लास्टिक मनी कार्ड का पदार्पण हुआ और देश में एटीएम के रूप में एक क्रांति आई। इसी क्रांति के कारण देशभर के बैंकिंग क्षेत्र द्वारा न केवल बड़े स्तर पर एटीएम मशीनों की संस्थापना की गई वरन् अपने ग्राहकों को भी इसके प्रयोग के लिए जागरूक किया गया। देश में एटीएम जारी करने के लिए वीजा, मास्टर और मेस्ट्रो जैसी विदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित संस्थाओं के कार्ड जारी किए गए। समय के साथ भारत में जैसे-जैसे एटीएम का व्यापक प्रयोग सफल रहा, वैसे-वैसे देश ने स्वयं अपनी भुगतान प्रणाली पर आधारित कार्ड की आवश्यकता को महसूस किया। इसी अनुरूप सर्वप्रथम भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2005 में स्वदेशी भुगतान प्रणाली की परिकल्पना पेश की और इसी परिकल्पना के तहत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को 2010 में इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

2008 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payment Corporation on India) की स्थापना भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक मातृ संगठन के रूप में की गई। इसकी स्थापना भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधान के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की पहल पर की गई। इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे कंपनी अधिनियम 1957 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम की धारा 8) के अधीन एक 'गैर-लाभकारी' कंपनी के रूप में स्थापित किया गया ताकि भारत की सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिक तथा इलेक्ट्रोनिक भुगतान प्रणालियों के लिए बुनियादी संस्थागत ढांचा प्रदान किया जा सके। प्रारम्भ में, 10 कोर प्रमोटरों (भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, केनरा बैंक.

बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी बैंक) के साथ आरंभ किए गए इस निकाय की शेयरधारिता को 2016 में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए 56 सदस्य बैंकों में विभाजित किया गया।

एनपीसीआई तथा रुपे कार्ड

अपनी विकास यात्रा में एनपीसीआई ने खुदरा भुगतान पर अपनी स्थापना के उद्देश्य के अनुरूप महत्वपूर्ण कार्य किए। इस विकास यात्रा के एक चरण के रूप में उसने रुपे कार्ड की शुरुआत की। एनपीसीआई ने रुपे सेवा को अप्रैल-2013 में ही शुरू कर दिया था, किन्तु, भुगतान प्रणाली के सुचारू तौर पर कार्य रूप में आने में कुछ समय लग गया। इसी एनपीसीआई ने रुपे कार्ड का नामकरण "Rupee + Payment" के संयोजन से 'RUPAY' के रूप में किया। स्वदेश की झलक दिखलाने के लिए जहां नामकरण में रुपये शब्द का प्रयोग किया गया, वहीं पहली बार जारी कार्ड में तीन रंग राष्ट्रीय ध्वज का प्रतिनिधित्व करते रखे गए। रुपे कार्ड वीजा और मास्टर कार्ड की तरह एटीएम, पीओएस और एमकॉमर्स पर कार्य करने वाले कार्ड की तरह है। अभी तक रुपे कार्ड 5 श्रेणियों में जारी हो चुके हैं।

रुपे क्रेडिट कार्ड - रुपे क्रेडिट कार्ड भी ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार कई श्रेणियों में जारी किया गया हैं। जैसे - रुपे सलेक्ट क्रेडिट, रूपे प्लैटिनम क्रेडिट, रुपे क्लासिक क्रेडिट।



रूपे सलेक्ट



रुपे प्लैटिनम



रूपे क्लांसिक

RUPAY CREDIT CARD (Source - NPCI (RUPAY.CO.IN)

कारण इस कार्ड को पूर्व राष्ट्रपित माननीय श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 08 मई 2014 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपित महोदय ने कहा कि "रुपे जैसी स्वदेशी प्रणाली न केवल भुगतान के नकदी और चेक पर निर्भरता को कम करेगी, बल्कि देश में विविध उपभोक्ता प्रणालियों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित वस्तुएं उपलब्ध कराना भी सरल बनाएगी। रुपे का राष्ट्र को समर्पण भारत में भुगतान प्रणाली के विकास और राष्ट्र निर्माण में एनपीसीआई के योगदान की परिपक्वता का प्रतीक है।"

रुपे कार्ड को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्थित 'प्रधानमंत्री जनधन खाता' योजना ने एक ब्रांडनाम के रूप में स्थापित किया। स्वदेशी भुगतान प्रणाली के विकास के रूप में जारी किए गए रुपे कार्ड से भारत विश्व के उन चुनिन्दा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने अपनी खुद की भुगतान प्रणाली विकसित कर ली है।

रुपे संपर्करहित (कांटैक्टलेस) कार्ड –

भारत के परिदृश्य के संदर्भ में, कम मूल्य के भुगतान के लिए संपर्करहित भुगतानों के समाधान हेतु, जून-2016 में 'रुपे संपर्करहित कार्ड' जारी किया गया। इसे जारी करने के उद्देश्यों को निम्न बिन्दुओं में समझा जा सकता है-

- ई-भुगतान के लिए, लाभप्रद व्यवस्था के अंतर्गत, कम मूल्य के भुगतानों (LPVs) के लिए एक तंत्र प्रदान करना।
- 2) ऐसा उत्पाद उपलब्ध कराना जो भारतीय बैंकों और व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय ग्राहकों की चिंताओं का समाधान प्रस्तुत करता हो।
- भारतीय ग्राहकों का नकद भुगतान से ई-भुगतान की तरफ झुकाव बढ़ाने के लिए।





रुपे संपर्करहित (Contactless) कार्ड (चित्र 1)और इसके उद्देश्य (चित्र-2)

स्त्रोत - NPCI rupay.co.in

इस प्रकार, रुपे संपर्करहित कार्ड विभिन्न दैनिक उद्देश्यों के खुदरा भुगतान के लिए विशेष प्रस्ताव की तरह हैं।

रुपे डेबिट कार्ड -

रुपे डेबिट कार्ड बैंक के बचत, चालू और अधिविकर्ष (ओवरड्राफ्ट) खातों के साथ अब केसीसी तथा मुद्रा खातों में भी जारी किया जाता है। यह कार्ड अन्य सामान्य एटीएम कार्ड की तरह है। रुपे डेबिट कार्ड को रुपे प्लैटिनम डेबिट, रुपे क्लासिक डेबिट, रुपे पीएमजेडीवाई कार्ड, रुपे पंग्रैन (PUNGRAIN— पंजाब सरकार की पहल पर मंडियों में और आढ़तियों को भुगतान के लिए अक्तूबर 2012 में शुरू किया) कार्ड, रुपे मुद्रा कार्ड तथा रुपे किसान कार्ड के रूप में ग्राहक की मांग और आवश्यकता के अनुसार जारी किया गया है।

रुपे प्रीपेड कार्ड -

गैर बैंकिंग सुविधा वाले लोगों के लिए तथा कार्ड बाजार के विस्तार के उद्देश्य से 2013 में रुपे प्रीपेड कार्ड की शुरुआत की गई। इस तरह के कार्ड को सह-ब्रांडिंग व्यवस्था के माध्यम से बैंकों द्वारा वर्चुअल कार्ड तथा मोबाइल वॉलेट के माध्यम से जारी किया जाता है। रुपे गिफ्ट कार्ड, रुपे स्टूडेंट कार्ड, रुपे पे-रोल कार्ड प्रीपेड कार्ड के ही अलग-अलग रूप हैं।

रूपे डेबिट कार्ड स्रोत - https://www.rupay.co.in/



रुपे प्लैंटिनम डेबिट कार्ड



रूपे पीएमजेडीवाई कार्ड



रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड



रुपे सुद्रा डेबिट कार्ड



रुपे PUNGRAIN कार्ड




रुपे किसान कार्ड

रुपे ग्लोबल कार्ड - रुपे कार्ड को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक को विश्व स्तर की आधुनिक और सुरक्षित भुगतान व्यवस्था से जोड़ना आवश्यक था। इसी उद्देश्य के अनुरूप रुपे ने अपना ग्लोबल कार्ड लांच करने की योजना बनाई। इसी के तहत, रुपे ने अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध किया और मार्च 2012 में डिस्कवर फ़ाइनेंशियल सर्विसेस (DFS) के साथ वैश्विक गठबंधन किया। तत्पश्चात, इसने निरंतर सुविधाजनक और गुणवत्तापूर्ण ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए जेसीबी इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड और यूनियन पे इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया। इन करारों के कारण रुपे ने अपनी नेटवर्क क्षमताओं को मजबृती प्रदान की। वर्तमान में,

पश्चात, अब वहाँ की बैंक भी रुपे कार्ड जारी कर सकेगी। यहाँ उल्लेखनीय है कि यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) पश्चिम एशिया का पहला देश है जो रुपे कार्ड जारी करेगा। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शीघ्र ही बहरीन में भी इसकी सुविधा शुरू करने के संकेत दिए हैं।

रुपे कार्ड के फायदे -जिस प्रकार से सरकार द्वारा रुपे कार्ड को प्रोन्नत किया जा रहा है, ऐसे में आम आदमी के नजरिए से यह प्रश्न उठना स्वाभविक है कि आखिर रुपे कार्ड के क्या लाभ हैं जो इसे अन्य कार्डों से अलग करते हैं? इस संदर्भ में, रुपे के लाभ को निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत समझा जा सकता है-



रुपे द्वारा रुपे ग्लोबल क्लासिक डेबिट कार्ड तथा रुपे ग्लोबल प्लैटिनम डेबिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। रुपे की वेबसाइट के अनुसार ये दोनों कार्ड 185 से अधिक देशों में स्थित 40.1 मिलियन से अधिक पीओएस स्थानों और 1.88 मिलियन से अधिक एटीएम स्थानों पर स्वीकार किया जाते हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल में 22 जुलाई 2019 को रुपे जेसीबी ग्लोबल कार्ड जारी किया गया। सिंगापुर और भूटान के बाद 24 अगस्त 2019 में यूएई के साथ एमओयू के

- रुपे एटीएम कार्ड देश के सभी एटीएम के साथ अधिकांश देशों (185 से अधिक) में निकासी के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
- 2) जहां वीजा और मास्टर कार्ड अपना सर्वर यूएसए में रखते हैं, वहीं रुपे ने स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित अपने सर्वर को भारत में ही स्थापित किया है, जिससे अन्य देशों द्वारा डाटा दुरुपयोग की संभावना कम हुई है। विदेशी कार्ड की तुलना में रुपे ज्यादा सुरक्षित और विश्वसनीय है।

- 3) पीओएस मशीन के साथ विभिन्न वेब पोर्टल और साइट पर ऑनलाइन भुगतान की सुविधा रुपे कार्ड से मिलती है। पीओएस मशीन पर एमडीआर चार्ज तथा ई-भुगतान पर प्रभारित व्यय वीजा और मास्टर कार्ड की तुलना में कम है।
- स्वदेशी भुगतान प्रणाली के कारण रुपे कार्ड की प्रोसेसिंग फी वार्षिक एएमसी प्रभार (Annual MaintenanceCharges) से भी अपेक्षाकृत कम है।
- 5) वीजा और मास्टर कार्ड में, जहां उच्च श्रेणी के कार्ड के साथ, बीमा की सुविधा मिलती है, वहीं रुपे के हर सिक्रय डेबिट कार्ड पर, यहाँ तक की जनधन खाते के साथ जारी एटीएम कार्ड के साथ भी, न्यूनतम 1.00 लाख रुपये तक व्यक्तिगत दुर्घटना तथा स्थायी नि:शक्तता के मामलों में बीमा संरक्षण मिलता है। इसके लिए कार्डधारक को अलग से कोई प्रीमियम भी नहीं चुकाना होता है।
- 6) रुपे कार्ड से भुगतान पर रिवार्ड पॉइंट, विशेष छूट, डिस्काउंट कूपन, पे-बैक तो मिलते ही हैं। इसके साथ ही रुपे से पेट्रोल पंप पर भुगतान करने पर सेस भी नहीं लगता है।
- 7) रुपे कार्ड से लेन-देन असफल होने की घटनाएं कम होती हैं। स्वदेशी भुगतान

प्रणाली के कारण पेमेंट गेटवे पर प्रोसेसिंग जल्दी व तेज होती है।

अत: कम लागत और अधिक लाभ के कारण रुपे कार्ड भारत के वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों, सोसाइटी आदि के लिए विशेष सौगात की तरह है। इसी कारण रुपे का विस्तार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एनपीसीआई के प्लेटफ़ार्म से होने वाले खुदरा भुगतानों में रुपे कार्ड की उल्लेखनीय अभिवृद्धि दर्ज हुई है।

इतना ही नहीं, इकनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में रुपे लेनदेनों में 135% की वृद्धि हुई है। रुपे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री प्रवीण राय के अनुसार 'वर्तमान में, कार्ड लेनदेन के कुल बाजार में 33% हिस्सेदारी रुपे कार्ड की है। आज 1,100 से अधिक बैंक लगभग 600 मिलियन रुपे कार्ड जारी कर रहे हैं'।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि भारत में रुपे कार्ड की स्वीकार्यता बढ़ी है और विदेश में भी रुपे कार्ड जारी करने शुरू कर दिये गए हैं। अत: रुपे का भविष्य स्वर्णिम है। अभी रुपे विश्व की सातवीं भुगतान प्रणाली है, किन्तु यह शीघ्र ही वीजा और मास्टर को पीछे छोड़ते हुए अग्रणी भुगतान प्रणाली बन जाएगी।

संदर्भ:

- 1. https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/newsbuzz/rupay-clocks-1-billion-transactions-surpasses-debit-cards-in-usage/articleshow/70475048.cms
- 2. https://www.npci.org.in/statistics
- 3. https://www.rupay.co.in
- 4. PIB द्वारा जारी सूचना क्रमांकवि. कासोटिया/एएम/एडीके/एमएस-1509 दिनांक 08/05/2014 17:32
- 5. इंटरनेट से प्राप्त विविध स्त्रोत

स्थायी स्तंभ

रेग्युलेटर की नज़र से

- ब्रिज राज

महाप्रबंधक और बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना कार्यालय

डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता

भारतीय रिज़र्वबैंक ने 07 अक्तूबर 2019 को सभी एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक बैंकों को दिशानिर्देश जारी किया जिसके अंतर्गत डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और उसमें गहनता लाने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि सभी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी /यूटीएलबीसी), बैंकों और हितधारकों के परामर्श से अपने संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में प्रायोगिक तौर पर एक जिले की पहचान करें। पहचाने गए जिले को किसी ऐसे बैंक को आबंटित किया जाए जो जिले में वृहद स्तर पर विद्यमान हो और जिले को एक वर्ष के भीतर 100 प्रतिशत डिजिटल रूप में सक्षम बनाने हेत् प्रयासरत हो, ताकि जिले में प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित, संरक्षित, त्वरित, किफ़ायती और सुविधाजनक तरीके से डिजिटल भुगतान करने / प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जा सके। इसमें, अन्य बातों के साथ, ऐसे लेन-देनों के प्रबंधन हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचा और साक्षरता प्रदान करना भी समाहित है।

एसएलबीसी / यूटीएलबीसी, जहां तक संभव हो सके, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि पहचाने गए जिलों को भारत सरकार के 'आकांक्षापूर्ण जिलों का रूपांतरण' कार्यक्रम के साथ अभिमुख किया जाए। बैंक को पहचाने गए जिले का आवंटन, जहां तक संभव हो सके, आपसी परामर्श और बैंक द्वारा स्वैच्छिक स्वीकृति के माध्यम से की जाए।

अर्हक आस्तियां मानदंड - सीमाओं की समीक्षा

भारतीय रिजर्व बैंक ने 08 नवंबर 2019 को सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-सुक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफ़सी-एमएफ़आई) को परिपत्र जारी किया, जिसके तहत आर्थिक पिरामिड के सबसे निचले पायदान के व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराने में एमएफ़आई की महत्वपूर्ण भूमिका और बढ़ती अर्थव्यवस्था में एमएफ़आई की निर्धारित भूमिका को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफ़सी-एमएफ़आई के उधारकर्ताओं के लिए पारिवारिक आय की सीमा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹1,00,000 और शहरी/अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए ₹1,60,000 से बढ़ाकर क्रमशः ₹1,25,000 और ₹2,00,000 कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त, किसी उधारकर्ता के कुल कर्ज़ की सीमा को ₹1,00,000 से बढ़ाकर ₹1,25,000 कर दिया गया है। कुल कर्ज़ की बढ़ी हुई सीमा को ध्यानमें रखते हुए, ऋण देने की सीमा को वर्तमान के प्रथम चक्र में ₹60,000 और उसके पश्चात के चक्र में ₹1,00,000 से बढ़ाकर क्रमशः ₹75,000 और ₹1,25,000 कर दिया गया है। ये निर्देश परिपत्र की तिथि से लागू हो गए हैं।

आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का परिसमापन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 नवंबर 2019 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया कि आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा स्वैच्छिक रूप से परिसमापन आवेदन पर, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 18 सितंबर 2019 को आदेश पारित किया है और डेलॉयट टूश टोहमात्सु इंडिया एलएलपी के वरिष्ठ निदेशक श्री विजय कुमार वी. अय्यर को आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के परिसमापक के रूप में नियुक्त किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से 'विजया बैंक' और 'देना बैंक' को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 नवंबर 2019 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया कि 'विजया बैंक' और 'देना बैंक' को 01 अप्रैल 2019 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है, क्योंकि 10 अगस्त 2019 - 16 अगस्त 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 10 अप्रैल 2019 की अधिसूचना

बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.35/12.01.001/2018-19 के अनुसार 01 अप्रैल 2019 से उन्होंने बैंकिंग व्यवसाय करना समाप्त कर दिया है।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली की 24x7 आधार पर उपलब्धता

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 06 दिसंबर 2019 को एनईएफटी भुगतान प्रणाली में भाग लेने वाले सभी सदस्य बैंकों को सूचित किया है कि उपर्युक्त सुविधा दिनांक 16 दिसंबर 2019 से उपलब्ध होगी और इसका पहला निपटान 16 दिसंबर 2019 को 00:30 बजे (15 दिसंबर, 2019 की रात) होगा। सदस्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे निम्नलिखित बातें नोट करें:

 क) प्रति दिन आधे घंटे के 48 बैच होंगे। पहले बैच का निपटान 00:30 बजे के बाद शुरू होगा और आखिरी बैच 00:00 बजे समाप्त होगा।

- ख) यह प्रणाली वर्ष के सभी दिनों में उपलब्ध होगी, जिसमें छुट्टियां भी शामिल हैं।
- ग) ऐसा अपेक्षित है कि बैंकों के सामान्य बैंकिंग समय के उपरांत एनईएफटी लेनदेन बैंकों द्वारा आरंभ किए गए स्ट्रेट श्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) मोड का उपयोग करते हुए स्वचालित लेनदेन होंगे।
- घ) लाभार्थी के खाते में क्रेडिट करने अथवा प्रवर्तक बैंक को लेन-देन वापस करने के लिए विद्यमान वर्तमान अनुशासन (संबंधित बैच के निपटान के 2 घंटे के भीतर) जारी रहेगा।
- ङ) सदस्य बैंक सभी एनईएफटी क्रेडिट के लिए प्राप्ति की पृष्टि संबंधी संदेश (एन 10) भेजना सुनिश्चित करेंगे।
- च) एनईएफटी प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के सभी प्रावधान एनईएफटी 24x7 लेनदेन के संबंध में भी लागू होंगे।

सदस्य बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के अपने करेंट खाते में पर्याप्त चलनिधि सदैव रखें ताकि एनईएफटी बैच निपटानों की सफलतापूर्वक पोस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

सदस्य बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे आवश्यक कार्रवाई आरंभ करें और वे अपने ग्राहकों को निर्बाध रूप से एनईएफ़टी 24x7 सुविधा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक आधारभूत संरचना संबंधी आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। बैंक अपने सभी ग्राहकों के लिए एनईएफटी के विस्तारित समय से संबन्धित सूचना का प्रसार करें।

कार्ड लेनदेन की सुरक्षा को बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 जनवरी 2020 को सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्रीय बैंक (एलएबी) / प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क / गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता को सूचित किया है कि उपयोगकर्ता सुविधा को बेहतर बनाने और कार्ड की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:

- क) सभी कार्डों (भौतिक और आभासी) को जारी / पुनः जारी करते समय भारत के अंदर केवल संपर्क आधारित उपयोग स्थलों [जैसे एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) डिवाइस] पर उपयोग के लिए सक्षम किया जाएगा। जारीकर्ता, पैरा 1 (ग) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्डधारक को कार्ड नॉट प्रेजेंट (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) लेनदेन, कार्ड प्रेजेंट (अंतरराष्ट्रीय) लेनदेन और संपर्क-रहित लेनदेन की सुविधा प्रदान करेंगे।
- ख) मौजूदा कार्डों के लिए जारीकर्ता अपनी जोखिम की अवधारणा के आधार पर कार्ड नॉट प्रेजेंट (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) लेन-देन, कार्ड प्रेजेंट (अंतरराष्ट्रीय) लेन-देन और संपर्क-रिहत लेनदेन के अधिकार को निष्क्रिय करने का निर्णय ले सकते हैं। वर्तमान कार्ड जिनका उपयोग ऑनलाइन (कार्ड नॉट प्रेजेंट) / अंतर्राष्ट्रीय / संपर्क-रिहत लेनदेन के लिए कभी भी नहीं किया गया है, उन्हें इस प्रयोजनार्थ अनिवार्य रूप से निष्क्रिय करना है।
- ग) इसके अतिरिक्त, जारीकर्ता सभी कार्ड धारकों को निम्नलिखित प्रदान करेंगे:
 - i. सभी प्रकार के लेनदेन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, पीओएस पर / एटीएम / ऑनलाइन लेनदेन / संपर्क रहित लेनदेन इत्यादि को बंद करने / चालू करने और लेनदेन की सीमा (कार्ड की समग्र सीमा के भीतर, यदि जारीकर्ता द्वारा कोई सीमा निर्धारित की गई हो) को निर्धारित /संशोधित करनेकी सुविधा;

- ं।. कई चैनलों मोबाइल एप्लीकेशन / इंटरनेट बैंकिंग / एटीएम / इंटरैक्टिव वॉइस रिसपोन्स (आईवीआर) के माध्यम से उपर्युक्त सेवा को 24x7 आधार पर उपलब्ध कराना; इसे शाखाओं / कार्यालयों के स्तर पर भी उपलब्ध कराया जा सकता है;
- iii. जब कभी भी कार्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो एसएमएस / ई-मेल के माध्यम से चेतावनी / सूचना / स्थिति इत्यादि।

इस परिपत्र के प्रावधान, प्रीपेड गिफ्ट कार्ड एवं उनके लिए अनिवार्य नहीं हैं जिन्हें मास ट्रांज़िट सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क इस परिपत्र के प्रावधानों को व्यापक प्रचार दें।

बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण - मध्यम उद्यम

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 फरवरी 2020 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर), सभी लघु वित्त बैंक और सभी स्थानीय क्षेत्र बैंकों को सूचित किया कि बैंकों द्वारा विस्तारित सभी नए फ्लोटिंग दर व्यक्तिगत या खुदरा ऋण (आवास, ऑटो आदि) और सूक्ष्म और लघु एंटरप्राइजेज (एमएसई) को फ्लोटिंग दर ऋण, 01 अक्तूबर 2019 से बाहरी बेंचमार्क से जोड़े गए थे।

बाहरी बेंचमार्क प्रणाली की शुरुआत के बाद, जिन क्षेत्रों में नए फ्लोटिंग दर ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा गया है, वहाँ मौद्रिकनीति संचरण बेहतर हुआ है। मौद्रिक नीति संचरण को और सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से अब यह निर्णय लिया गया है कि 01 अप्रैल 2020 से बैंकों द्वारा मध्यम उद्यमों को विस्तारित सभी नए फ्लोटिंग दर ऋण उपर्युक्त परिपत्र में बताए गए अनुसार बाहरी बेंचमार्क से जोड़े जाएंगे।

घूमता आईना

- के. सी. मालपानी

सहायक महाप्रबंधक भारतीय रिज़र्व बैंक, निरीक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

पीएम किसान योजना से 7.92 करोड़ किसान हुए लाभान्वित

हाल में, सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 7.92 करोड़ किसानों को सहायताराशि के रूप में 15,841 करोड़ रुपये की रकम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों के बैंक खातों सीधे अंतरित की है। सरकार ने कोराना वायरस महामारी के संकट को देखते हुए चालू वित्त वर्ष की पहली किस्त शुरू में ही वितरित करने का फैसला किया है।

क्या है पीएम किसान योजना :

- यह योजना केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए आय सहायता योजना के रूप में चलाई जाती है। इसके लिए पूरी धनराशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है।
- इस योजना के तहत सरकार द्वारा पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता 2000 हज़ार रुपए की तीन किश्तों में उनके बैंक खातों में सीधे अंतरित की जाती है।
- इस योजना का लाभ कृषियोग्य भूमिधारी सभी किसान ले सकते हैं। तथापि, उच्च आर्थिक स्थिति वाले किसानों को इस योजना के तहत पात्र नहीं माना गया है, इनमें खासतौर पर शामिल है:

(क) सभी संस्थागत भूमिधारक

(ख) ऐसे किसान परिवार जिनके एक या एक से अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणी में आते हों-

(i) पूर्व या वर्तमान संवैधानिक पदाधिकारी (ii) पूर्व या वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री, पूर्व या वर्तमान लोकसभा / राज्य सभा / राज्य विधान मंडल / विधान परिषद सदस्य / नगर निगम के मेयर; पूर्व या वर्तमान जिला पंचायत प्रमुख (iii) केंद्र / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों तथा फील्ड इकाइयों; केंद्र तथा राज्य सरकार के उपक्रमों; स्वायत्तशाषी निकायों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) (iv) सेवानिवृत्त / अधिवर्षिता प्राप्त पेंशनर जिनकी पेंशन 10 हजार रूपये मासिक से ज्यादा हो (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) (v) ऐसे सभी लोग जिनके द्वारा विगत वर्ष में आयकर दिया गया हो (vi) चिकित्सक, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट्स जैसे पेशेवर जो पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और प्रेक्टिस कर रहे हैं।

- योजना के तहत लाभार्थी किसान परिवारों
 की पहचान की पूरी जिम्मेदारी राज्य / केन्द्र
 शासित प्रदेश सरकारों की होती है।
- योजना में नामांकन के लिए किसान को राज्य सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) / स्थानीय पटवारी / राजस्व अधिकारी से संपर्क करना होगा।
- कॉमन सर्विस सेंटरों को भी फीस लेकर किसानों का इस योजना के लिए पंजीकरण करने हेतु अधिकृत किया गया है। किसान https://pmkisan.gov.in/ पोर्टल पर

जाकर किसान कॉर्नर के माध्यम से भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं।

- इस योजना से लगभग 14.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।
- इस योजना पर सरकारी खजाने से 75,000
 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

अटल भूजल योजना (अटल जल) पर खर्च होंगे 6000 करोड़ रुपए

सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95 वीं जयंती के अवसर पर 'अटल भूजल योजना' (अटल जल) की शुरुआत की गई।

अटल जल की रूपरेखा सहभागी भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत संरचना को सुदृढ़ बनाने तथा सात राज्यों, अर्थात गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में टिकाऊ भूजल संसाधन प्रबंधन के लिए समुदायिक स्तर पर व्यवहारगत बदलाव लाने के मुख्य उद्देश्य से बनाई गई है। इस योजना के कार्यान्वयन से इन राज्यों के 78 जिलों में लगभग 8350 ग्राम पंचायतों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है।

अटल जल योजना में पक्ष प्रबंधन पर मुख्य जोर दिया जाएगा, साथ ही पंचायत केन्द्रित भूजल प्रबंधन और व्यवहारगत बदलाव को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अविध में क्रियान्वित की जाने वाली इस योजना पर 6,000 करोड़ रुपये का कुल व्यय होगा। जिसमें से 50 प्रतिशत विश्व बैंक ऋण के रूप में होगा और इसकी चुकौती केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी।

शेष 50 प्रतिशत हिस्से का भुगतान नियमित बजटीय समर्थन से केन्द्रीय सहायता द्वारा दिया जाएगा। विश्व बैंक ऋण का भाग और केन्द्रीय सहायता राज्यों को अनुदान के रूप में दी जाएगी। जहां एक तरफ जल जीवन मिशन प्रत्येक घर में पाइप जलापूर्ति पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रहा है वहीं दूसरी ओर अटल जल योजना उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी, जहां भूजल बहुत कम है।

बैंक जमाराशियों पर बीमा कवरेज बढ़कर पाँच लाख रुपए हुआ

हाल में, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने बैंकों में जमाराशियों पर बीमा कवरेज को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है। इससे पहले यह रकम एक लाख रुपये ही थी।

डीआईसीजीसी, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है जो बैंकों में जमाराशियों पर बीमा कवरेज उपलब्ध कराती है। भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाएं, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी वाणिज्यिक बैंक और राज्य, मध्यवर्ती और प्राथमिक सहकारी बैंक, जिन्हें शहरी सहकारी बैंक भी कहा जाता है, डीआईसीजीसी के जमा बीमा कवरेज में आते हैं। डीआईसीजीसी द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों का बीमा नहीं किया जाता।

डीआईसीजीसी किसी बैंक के विफल होने की स्थिति में भारत में देय बैंक जमाराशियों के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें बचत, सावधि, चालू, आवर्ती आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत रखी गई जमाराशियां आती है। यह भी उल्लेखनीय है कि विदेशी सरकारों की जमाराशियों, केंद्र/राज्य सरकारों की जमाराशियों, अंतर बैंक जमाराशियों, राज्य सहकारी बैंकों के पास राज्य भूमि विकास बैंकों की जमाराशियों, भारत के बाहर प्राप्त जमाराशियों के कारण देय किसी राशि और रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निगम को विशेष रूप से छूट प्राप्त राशियों को निगम के बीमा कवरेज में शामिल नहीं किया जाता।

पांच लाख रुपये तक की बढ़ी हुई सीमा किसी ग्राहक की एक बैंक में मौजूद सभी जमाराशियों मसलन, बचत खाता, सावधि, आवर्ती, आदि को मिलाकर है अर्थात किसी बैंक की एक ही या अलग-अलग शाखाओं में ग्राहक के अलग-अलग खातों में जमाराशियां मौजूद है तो उन सभी को मिलाकर 5 लाख रुपये तक की रकम के लिए बीमा कवरेज मिलेगा। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों को शामिल किया जाएगा । बीमा कवरेज के लिए एकल और संयुक्त नाम में रखी जमाराशियों को अलग-अलग इकाई माना जाता है । उदाहरण के लिए बैंक 'क' में आपका एक खाता आपके नाम पर और दूसरा आपके और आपके जीवन साथी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से हो तो इस स्थिति में आपको दो खातों का मुआवजा मिलेगा।

यह भी बता दें कि यदि आपकी जमाराशियां एक से अधिक बैंकों में हैं तो जमा बीमा कवरेज की सीमा प्रत्येक बैंक के लिए अलग-अलग लागू होगी।

स्टेट बैंक ने बचत खातों में न्यूनतम शेष बनाए रखने की शर्त को समाप्त किया

हाल में, देश में सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बडे बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ने सभी बचत बैंक खातों के लिए न्यूनतम शेष रखने की शर्त को समाप्त कर दिया है । इससे बैंक के 44.51 करोड़ खाताधारकों को राहत मिलेगी।

अब तक स्टेट बैंक के ग्राहकों को मेट्रो क्षेत्र में 3000 रुपये, अर्ध-शहरी क्षेत्र में 2000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 रुपये का न्यूनतम औसत मासिक शेष खाते में बनाए रखना पड़ता था। औसत मासिक न्यूनतम शेष बनाए नहीं रखने की स्थिति में खाताधारकों को 5 से 15 रुपये तक के जुर्माने का भुगतान भी करना पड़ता था। इसके साथ ही, एसबीआई ने एसएमएस पर लिए जाने वाले शुल्क को भी समाप्त कर दिया है।

आखिर क्या है बैंक खातों में न्यूनतम औसत शेष का गणित

अधिकांश बैंकों में ग्राहकों को अपने बचत बैंक खातों में न्यूनतम औसत मासिक शेष (MAB) बनाए रखने की शर्त का पालन करना होता है और ऐसा न होने पर बैंक जुर्माना भी वसूलते हैं। आइए जानते हैं कि खाते में न्यूनतम औसत मासिक शेष की गणना किस प्रकार होती है ... माना, आपके बचत खाते के लिए न्यूनतम औसत मासिक शेष की अनिवार्यता 3,000 रुपये है। आपने 01 जनवरी को अपने खाते में 3,000 रुपये जमा किए। अगले एक माह तक आपने उस खाते से न कोई पैसा निकाला और न ही उसमें कुछ जमा किया। इसका अर्थ यह है कि आपने न्यूनतम औसत मासिक शेष बनाए रखने की शर्त को पूरा किया।

जब कर रहे हों जमा-निकासी :

माना, 01 जनवरी को आपने खाते में 3,000 रुपये जमा किए। 10 जनवरी को आपने 2,000 रुपये निकाल लिए। उसके बाद 20 जनवरी को फिर से 10,000 रुपये जमा कर दिए। महीने के अंत में आपके खाते में 11,000 रुपये होंगे। ऐसी सूरत में न्यूनतम औसत मासिक शेष की गणना इस तरह होगी-

- 01 जनवरी से 09 जनवरी तक यानी 9 दिन आपका शेष रहा- 3000×9= 27,000 रुपये
- 10 जनवरी से 19 जनवरी तक यानी 10
 दिन आपका शेष रहा- 1000×10 =
 10,000 रुपये
- 20 जनवरी से 31 जनवरी तक यानी 12
 दिन आपका शेष रहा- 11000×12=
 1,32,000 रुपये
- 1 से 31 जनवरी तक कुल शेष को देखें तो
 यह रहा- 27000+10000+132000
 =1.69.000रु.
- अब औसत शेष निकालने के लिए इस योग में महीने के कुल दिनों की संख्या अर्थात 31 का भाग देंगे तो आएगा 5,451.61 रुपये। इस प्रकार आपके द्वारा न्यूनतम औसत मासिक शेष (3,000 रु.) से अधिक राशि खाते में बनाए रखी गई।

ब्रिक्स समूह का न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को 01 बिलियन डालर की वित्तीय सहायता देगा

हाल में, न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत को 01 बिलियन डालर की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई। इस बैंक की स्थापना 2014 में ब्रिक्स के सदस्य देशों रूस, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन द्वारा की गई थी।

यह बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाता है। यह वैश्विक विकास को बढ़ाने के लिए, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों को पूरा करने के लिए काम करता है। यह सार्वजनिक और निजी दोनों परियोजनाओं का समर्थन करता है। इस बैंक की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 100 बिलियन अमरीकी डालर थी।

अब तक न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 4,183 मिलियन डालर की 14 भारतीय परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस बैंक ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर छूट पाने के लिए निवेश करने की समय-सीमा हुई 30 जून

कोरोना संकट के बीच सरकार ने आयकर दाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर छूट पाने के लिए निवेश करने की समय-सीमा को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है।

कोरोना संकट के चलते बहुत से लोगों के लिए 31 मार्च तक कर छूट पाने के लिए निवेश कर पाना संभव नहीं हो पा सका था।

इसके अलावा कोरोना संकट की वजह से सरकार ने टैक्स से जुड़े ज्यादातर मामलों के लिए भी समयसीमा को भी बढ़ा दिया है। इनमें पैन के साथ आधार लिंक करना, ब्याज और पेनल्टी के बगैर विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कर का भुगतान, आदि शामिल है।

फोर्ब्स द्वारा 2020 के लिए जारी धनाढ्यों की सूची में 102 भारतीय

हाल में, फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2020 के लिए दुनिया के कुल 2095 अरबपतियों की सूची जारी की गई है। इसमें भारत के 102 उद्योगपतियों को जगह मिली है।

इस सूची में प्रमुख रूप से मुकेश अंबानी 36.8 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ 21वें स्थान पर रहे हैं। जबिक 13.8 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ राधािकशन दमानी परिवार 78वें नंबर पर और एचसीएल टेक्नॉलजीज के फाउंडर शिव नाडर 11.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 103वें स्थान पर रहे हैं।

अमीरों की इस सूची में कोटक बैंक के मालिक उदय कोटक 11.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 129वें, गौतम अडानी 8.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 155वें, सुनील मित्तल 8.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 157वें, सायरस पूनावाला 8.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 165वें स्थान पीआर रहे हैं।

कुमार बिडला 7.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 185वें और स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल 7.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 196वें स्थान पर रहे हैं।

6.1 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अजीम प्रेमजी तथा दिलीप सांघवी संयक्त रूप से 253वें स्थान पर हैं।

सूची में 113 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अमेजान के जेफ बेजोस विश्व के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में प्रथम स्थान पर रहे हैं।

क्या है फास्टैग ?

फास्टैग टोल कर संग्रहण की एक नई इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो टोल कर के भुगतान के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक पर काम करती है। इस परियोजना का संचालन राष्ट्रीय उच्चमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा किया जा रहा है।

इसमें टोल राशि फास्टैग से जुड़े हुए प्रीपेड खाते से सीधे ही कट जाती है। इसे आपके वाहन के विंडस्क्रीन पर चिपकाना होता है। फास्टैग आ जाने के बाद टोल कर अदा करने के लिए अब टोल प्लाजा पर गाड़ी रोककर वाहनों की लंबी कतार में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोल प्लाजा से पंजीकृत वाहन के गुजरने के साथ ही फास्टैग से जुड़े खाते से टोल टैक्स अपने आप कट जायेगा।



फास्टैग रेडियो-फ्रीक्वेंसी पहचान तकनीक (आरएफआईडी) पर काम करता है। इस तकनीक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का उपयोग किया जाता है। यह ऐसे टैग्स की पहचान करता है जिनमे इलेक्ट्रानिकली सूचना स्टोर रहती है और एक द्वि-मार्गीय रेडियो ट्रांसमीटर-रिसीवर टैग के लिए सिग्नल भेजता है तथा उसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन करता है।

आरएफआईडी रीडर टैग के लिए एक एनकोडेड रेडियो सिग्नल भेजता है। टैग इस सिग्नल को रिसीव करता है तथा अपनी पहचान के साथ कुछ और सूचनाएं वापस भेजता है।

फास्टैग को अपनी पसंद के किसी भी बैंक खाते या ई-वालेट, आदि से लिंक कर सकते हैं। फास्टैग एप्प की सहायता से किसी भी वक्त फास्टैग को रिचार्ज किया जा सकता है।

15वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया

सरकार ने 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल को 30 अक्तूबर 2020 तक बढ़ाए जाने की मंज़ूरी दी है। 15वें वित्त आयोग का गठन नवम्बर 2017 में अगले पांच वर्ष, अर्थात 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए वित्तीय मामलों तथा कर आगमों पर विचार कर अनुशंसा देने के लिए किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

- संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आबंटन।
- अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान/सहायता दी जानी चाहिये।
- राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्द्धन के लिये आवश्यक क़दमों की सिफारिश करना।

यह भी बता दें कि इस आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह तथा श्री अजय नारायण झा, डॉ.अशोक लाहिरी तथा डॉ.अनूप सिंह इसके सदस्य हैं। डॉ. रमेश चंद आयोग के अंशकालिक सदस्य हैं।

पीएम- केयर्स फंड : कैसे दें अपना योगदान

कोविड-19 महामारी और इसी प्रकार की किसी भी आपात स्थिति या संकट से निपटने और इससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के प्रयोजन से एक विशेष राष्ट्रीय कोष की आवश्यकता के मद्देनजर "प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड" (पीएम- केयर्स फंड) नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष हैं और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं वित्त मंत्री, भारत सरकार इसके पदेन ट्रस्टी होंगे।

इस आपात स्थिति के मद्देनजर अपना सहयोग देने के उद्देश्य से कोई भी नागरिक और संगठन आदि वेबसाइट pmindia.gov.in पर जाकर निम्नलिखित विवरणों का उपयोग करते हुए 'पीएम-केयर्स फंड' में अपना योगदान दे सकते हैं:

खाते का नाम: पीएम केयर्स

खाता संख्या: 2121PM20202

आईएफएससी कोड: SBIN0000691

स्विफ्ट कोड: SBININBB104

बैंक और शाखा का नाम: भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली मुख्य शाखा

यूपीआई आईडी: pmcares@sbi

भुगतान के लिए वेबसाइट पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई (भीम, फोनपे, अमेजन पे, गूगल पे, पेटीएम, मोबिक्विक इत्यादि), आरटीजीएस / एनईएफटी जैसे विकल्प उपलब्ध हैं।

यह भी बता दें कि पीएम-केयर्स फंड में दिए गए दान के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (जी) के तहत आयकर में 100 प्रतिशत छूट उपलब्ध है। साथ ही पीएम-केयर्स फंड में दिए गए दान को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय के रूप में भी गिना जाएगा।

पुस्तक समीक्षा

- डॉ. घनश्याम शर्मा प्रबंधक (राजभाषा) भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु

पुस्तक:

फिनटेक इन ए फ्लैश: फाइनेंशियल टेक्नॉलॉजी मेड ईजी

लेखक: अगस्टीन रूबिनी

प्रकाशक : अमेजन डिजिटल सर्विसेज , आईएसबीएन : 978-1545165539

प्रकाशन वर्ष : 2017, मूल्य : ₹ 589

िनटेक (FinTech) Financial Technology का संक्षिप्त रूप है। वित्तीय कार्यों में टेक्नोलॉजी के उपयोग को फिनटेक कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह पारंपरिक वित्तीय सेवाओं और विभिन्न कंपनियों तथा व्यापार में वित्तीय पहलुओं के प्रबंधन

में आधुनिक तकनीक का कार्यान्वयन है। वित्तीय जगत का उभरता सितारा फिनटेक अब वैश्विक वित्तीय अंबर में ध्रुव तारे की तरह झिलमिला रहा है।


पूरी दुनिया में अब उसकी गहरी पैठ बन चुकी है और भारतीय वित्तीय परिदृश्य में भी यह दिन दूना, रात चौगुना उन्नति कर रहा है। फिनटेक की इस ग्रोथ का कारण विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में इसके लिए भारी संख्या में उपलब्ध निवेशक हैं। सरकारी समर्थन.

नवचार की उन्नत संस्कृति, ग्राहक केंद्रिकता और नरम विनियमन इसके उन्नति के प्रमुख उत्प्रेरक हैं। हम चाहे बैंकर हों, निवेशक हों या ग्राहक, वित्तीय प्रौद्योगिकी के इस उगते हुए सूरज की किरणों से हम में से कोई अछूता नहीं है। लंदन, न्यूयार्क, हांगकांग, शंघाई तथा बेंगलुरु आदि दुनिया के कुछ शहर हैं जो फिनटेक नवाचरों के गढ़ के रूप में विकसित हो गए हैं। वर्तमान में निवेश राशि और कल

> उपयोगकर्ता संख्या के आधार पर चीन फिनटेक उत्पादों और कारोबार का दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। फिनटेक बाजार की एक और विशिष्टता इसमें शामिल छोटी-बड़ी कंपनियाँ हैं।

अमेरिकी बाजार में सोफी (Sofi) और प्रोस्पर (prosper) हैं तो शंघाई में लुफ़क्स (Lufax) और एंट फाइनेंशियल (Ant

Financial) हैं जिन्हें फिनटेक की दुनिया में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त है। यही स्थिति Paytm की स्वामी कंपनी One97 का है। फिनटेक के प्रभाव से



Neobanks, Challenger Banks और Ibanks जैसे नए स्वरूप के बैंक अस्तित्व में आ गए हैं। फिनटेक संबंधी नवाचार सभी उन्नत और प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं के वित्त जगत की खबरों में सुर्खियों में हैं। लेकिन ये नवाचार इतनी सघन मात्रा में और इतनी तेजी से हो रहे हैं कि उसकी कार्यपद्धित को समझना और उसको फॉलो करना टेढ़ी खीर है। और शायद इसलिए वित्तीय जगत की हमारी समझ और फिनटेक के नवाचारों के बीच अज्ञानता और अनदेखी का एक अवांछित अंतराल पैदा होता है।

श्री अगस्टीन रूबिनी की अंग्रेजी में लिखी किताब *फिनटेक इन ए फ्लैश : फाइनेंशियल टेक्नॉलॉजी मेड ईजी* इस अंतराल को मुकम्मल रूप से भरने की सार्थक कोशिश है, जिसमें फिनटेक के बारे में सामान्यतः अपेक्षित सारी जानकारियाँ विस्तार से दी गई हैं। अर्जेन्टीना में जन्मे अगस्टीन रूबिनी अर्थशास्त्री हैं और 'बैंकिंग इनोवेशन्स' के निदेशक हैं। वे वित्तीय प्रौद्योगिकी में गहरी रुचि रखते हैं। उन्होंने यह किताब बैंकिंग अवधारणाओं की बहुत ही औसत और बुनियादी समझ रखने वाले पाठक के दृष्टिकोण से लिखी गई है। मेरी समझ से यह इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। फिनटेक को समझने की चाहत रखने वाले सामान्य पाठकों के लिए सहज शैली और संप्रेषी अंग्रेजी में लिखी गई यह किताब बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इसकी विषयवस्तु को वित्त जगत की सामान्य जानकारी रखने वाले पाठक भी सुगमता से समझ सकते हैं।

लगभग 300 पृष्ठों की इस किताब में लेखक ने फिनटेक की स्थिति का गहरा और व्यापक अनुशीलन किया है। उनके चिंतन और शोध के दायरे में फिनटेक की परिभाषा से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिनटेक कंपनियों के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी को शामिल किया गया है। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य रूबिनी के ही शब्दों में- 'इस दिलचस्प इंडस्ट्री के लिए एक प्रवेश द्वार उपलब्ध कराना" है। लेखक ने किताब के जरिए पाठक के लिए "पूरे फिनटेक सेक्टर का विहंगावलोकन प्रस्तुत करने का प्रयास" किया है और उम्मीद की है कि "जो पाठक किताब शुरू करते समय इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते, किताब समाप्त करते-करते इसकी ठीकठाक समझ हासिल कर लेंगे।"

डिजिटल लेंडिंग, नेक्स्ट जनरेशन कॉमर्स, क्राउड फंडिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन, इन्श्यूरटेक, रेगटेक, वितरित लेजर प्रौद्योगिकी (डीएलटी), स्मार्ट संविदा, साइबर सिक्यूरिटी, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और बिग डाटा आदि के थीम पर अलग-अलग खंडों में विभाजित इस किताब में कुल 30 अध्याय हैं, जिनमें सूचनाओं और अवधारणाओं को सारगर्भित और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है।

रूबिनी लिखते हैं कि फिनटेक इंडस्ट्री महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वित्तीय कारोबार को और अधिक चुस्त-दुरुस्त व दक्ष बनाते हुए दुनिया के कुछ जरूरी मुश्किलों का उपाय ढूंढ़ती है। इसकी बदौलत विकासशील देशों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, जिनके पास कोई बैंक खाता नहीं है, लेनदेन कर सकते हैं।

नई प्रौद्योगिकी और नए विनियमों के अभ्युदय से बैंकिंग कारोबार में उत्तरजीविता का नया सिद्धान्त अब योग्यतम की उत्तरजीविता से बदलकर शीघ्रतम की उत्तरजीविता में बदल चुका है। डिजिटलाइजेशन और प्रौद्योगिकी को तुरंत ग्रहण करने में जो बैंक रह गए, वे बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसका सबसे अधिक प्रभाव उपभोक्ता बैंकिंग पर ही पड़ने वाला है। ग्राहक की अपेक्षाएँ और इच्छाएं दोनों बहुत तेजी से बदल रही हैं। भविष्य के बैंक का चेहरा जो भी हो, यह निश्चित है कि जो बैंक फिनटेक की लहर में शामिल नहीं हो पाए, उनका कोई भविष्य नहीं होगा।

रूबिनी की भविष्यवाणी है कि अगले कुछेक दशकों में कुछ एकीकृत वैश्विक फिनटेक कंपनियाँ बन जाएंगी। ऐसी वैश्विक समेकित वित्तीय प्रणाली हमारे जीवन को आसान बनाने के साथ-साथ विकासशील देशों में रह रहे अरबों लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकेगी। फिनटेक कंपनियों के कारण हो रहे कारोबारी मॉडल्स में बदलाव को विनियमित करने के लिए विनियमन के स्वरूप और शैली दोनों में आमूलचूल बदलाव आएंगे। रेगटेक के क्षेत्र में काम करने वाली फिनटेक कंपनियों का कारोबार बढ़ेगा और उनके उत्पादों की प्रयोज्यता बढ़ेगी। और साथ ही, जब नियमों और विनियमों में बदलाव होंगे तो उनके अनुपालन की लागत में भी कमी आएगी।

परिचयात्मक उद्देश्य को देखते हुए पुस्तक में फिनटेक विषय के सभी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है, तथापि उनके अंतरसंबंधों और अंतरिक्रियाओं पर थोड़ा प्रकाश डाला जा सकता था। विषय की व्यापकता को देखते हुए लेखक से इसकी अपेक्षा तो की जा सकती है। लेकिन इस आग्रह में इस किताब को न पढ़ा जाए, यह उचित नहीं होगा। अमेज़न पर यह पुस्तक ई-बुक के रूप में भी उपलब्ध है। फिनटेक को व्यापक और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए यह एक जरूरी पुस्तक है।

लेखकों से / पाठकों से

ईस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखने वाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं है। हमें इसमें आपका सिक्रय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा-बैंकिंग, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण, मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर मानदेय देने की व्यवस्था है। लेखकों से यह भी अनुरोध है कि वे प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि:

- 1. क. सामग्री बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर ही है। लेख मौलिक विचारों पर आधारित हो अथवा किसी विचारधारा की मौलिक समीक्षा हो।
- ख. लेख में किसी समसामयिक बैंकिंग समस्या पर प्रतिपक्षात्मक (कॉन्ट्रारियन) विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं बशर्ते प्रतिपक्षात्मक विचारधारा का उद्देश्य आलोचनात्मक न होकर समीक्षात्मक हो या समस्या के बहुपक्षीय आयामों की संभावनाओं से जुड़ा हुआ हो।
- ग. लेख बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी किसी सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल प्रैक्टिस पर आधारित हो ताकि नवोन्मेष (इनोवेशन) को प्रोत्साहन मिले।
- घ. लेख ऐसी बैंकिंग विचारधारा, व्यवस्था या पद्धति पर आधारित हो, जिससे भारतीय बैंकिंग ग्लोबल स्तर पर स्पर्धात्मक बने।
 - ङ. लेख भारतीय बैंकिंग में अपनाई गई ऐसी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में हो जिसका अन्य देश अनुकरण कर सकें।
- 2. लेख में दिए गए तथ्य, आंकड़े अद्यतन हों एवं उनके स्रोत के बारे में स्पष्ट लिखा जाना चाहिए।
- क. लेख न्यूनतम 5 पृष्ठों के हों तथा यूनिकोड में टंकित हों।
 - ख. वह कागज की एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखित अथवा टंकित हो।
- ग. यथासंभव सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया हो और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिए गए हों।
- घ. लेख यदि संभव हो तो यूनिकोड फांट में rajbhashaco@rbi.org.in नामक ई-मेल आईडी पर भेजने की व्यवस्था की जाए।
- 4. यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
- 5. लेखक अपने पत्राचार का पता, ई-मेल आईडी एवं टेलीफोन / मोबाइल नंबर अवश्य दें।
- 6. प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि जब तक लेख की अस्वीकृति सूचना प्राप्त नहीं होती, संबंधित लेख किसी अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।

	बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन :: अक्तूबर 2019-मार्च 2020
पंजीयन संख्या: 47043 / 88	